

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL, MADHYA PRADESH**

ORIGINAL APPLICATION NO. 244/2024

IN THE MATTER OF:

APPLICANT: Vijay Shankar Pandey

//VERSUS//

RESPONDENT: M/S Gopal Choudhary (Bibdod Stone
Quarry) & Ors.

INDEX

Sr. No.	Particulars	Annexure	Pg. No.
1	Compilation No. 01		2
2	Synopsis and Chronology of Events		3-4
3	Original Application under Section 18(1) Read With Sections 14 and 15 of the National Green Tribunal Act, 2010		5-15
4	Affidavit in support of the Application		16
5	List of Documents		17-18
6	Vakalatnama		73

Place: Bhopal

Date: 03.11.2024

ulanchy

Applicant

Shankar

Counsel for the Applicant

C-304, Block - B

Mahadev Parisar Apartments, Shivaji Nagar

Bhopal, Madhya Pradesh - 462016

Mo. 7987165119

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL, MADHYA PRADESH**

ORIGINAL APPLICATION NO.244/2024

IN THE MATTER OF:

APPLICANT: Vijay Shankar Pandey

//VERSUS//

RESPONDENT: M/S Gopal Choudhary (Bibdod Stone
Quarry) & Ors.

COMPILATION NO. 01

Sr. NO.	Particulars	Annexure	Pg. No.
1	Synopsis and Chronology of Events		3-4
2	Original Application under Section 18(1) read with Sections 14 and 15 of the National Green Tribunal Act, 2010		5 - 15
3	Affidavit in support of the application		16

Place: Bhopal

Date: 03.11.2024

Vijay Shankar Pandey

Applicant

[Signature]

Counsel for the Applicant

C-304, Block - B

Mahadev Parisar Apartments, Shivaji Nagar

Bhopal, Madhya Pradesh - 462016

Mo. 7987165119

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL, MADHYA PRADESH
ORIGINAL APPLICATION NO.244/2024**

IN THE MATTER OF:

APPLICANT: Vijay Shankar Pandey
//VERSUS//

RESPONDENT: M/S Gopal Choudhary (Bibdod Stone
Quarry) & Ors.

SYNOPSIS

The applicant herein has filed this instant Original Application regarding the reckless mining activity by the respondent herein which is being conducted illegally and beyond the permissible areas on the land bearing Patwari Halka Number 23, Survey Number 65 situated at Bibdod Village, Ratlam Tehsil, Ratlam. The mining activity conducted is not in consonance with the terms and conditions prescribed by the Madhya Pradesh State Environmental Impact Assessment Authority (MPSEIAA) and the respondent herein has mined the land beyond the land allotted to him so much so that the mine has reached the nearby dam which provides for water requirements of the adjacent villages.

Place: Bhopal

Date: 03.11.2024

Vijay Shankar Pandey

Applicant

[Signature]

Counsel for the Applicant

C-304, Block - B

Mahadev Parisar Apartments, Shivaji Nagar

Bhopal, Madhya Pradesh - 462016

Mo. 7987165119

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL, MADHYA PRADESH**

ORIGINAL APPLICATION NO.244/2024

IN THE MATTER OF:

APPLICANT: Vijay Shankar Pandey

//VERSUS//

RESPONDENT: M/S Gopal Choudhary (Bibdod Stone
Quarry) & Ors.

CHRONOLOGY OF EVENTS

Date	Particulars
30.03.2021	Mining Lease Renewed in favour of Mr. Dinesh Porwal
12.07.2021	Consent to Operate granted in favour of Mr. Dinesh Porwal
28.11.2022	Mining Lease transferred to the respondent number 01 herein
29.01.2024	Environmental Clearance obtained by the respondent number 01
30.10.2024	EC conditions not followed, excessive mining activities done, hence this OA

Place: Bhopal

Date: 03 .11.2024

Warday

Applicant

[Signature]

Counsel for the Applicant

C-304, Block - B

Mahadev Parisar Apartments, Shivaji Nagar

Bhopal, Madhya Pradesh - 462016

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL, MADHYA PRADESH**

ORIGINAL APPLICATION NO.244/2024

IN THE MATTER OF:

Vijay Shankar Pandey

S/o Om Prakash Pandey, age about 36 years

R/o Komal Nagar, Ratlam Madhya Pradesh

.....**APPLICANT**

//VERSUS//

1. M/S Gopal Choudhary (Bibdod Stone Quarry) Patwari Halka Number 23, Survey Number 65 situated at Bibdod Village, Ratlam Tehsil, Ratlam
2. State of Madhya Pradesh through Principal Secretary, Department of Mining
3. Madhya Pradesh Pollution Control Board, through Chairman, E-5, Main Rd No. 3, Ekant Park, Arera Colony, Bhopal, Madhya Pradesh 462016
4. The District Collector, Ratlam, Collector Office Ratlam

.....**RESPONDENTS**

**APPLICATION UNDER SECTION 18 READ WITH SECTIONS 14 AND
15 OF THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL ACT, 2010**

May it Please Your Lordships:

1. The Address of the Applicant is as given above for the service of notice of this application and that of the representatives.
2. The Addresses of the Respondents are as given above for the service of notice of this application.

3. The Applicant above-named begs to present this Memorandum of Application on the facts and grounds set out hereunder:-

DELAY, IF ANY, IN FILING THIS APPLICATION AND EXPLANATION THEREOF:

The applicant hereby declares that the cause of action in this instant original application is a continuing cause of action which first arose in 1985 on the wrongful and illegal diversion of the land in question and continues till date on the illegal operation of the stone crusher and mine on the land in question.

A. Summary of The Matter:

In this instant Original Application, the land in question bears Patwari Halka Number 23, Survey Number 65, located at Bibdod Village, Ratlam and a part and parcel of this land admeasuring 2.000 Hectares has been allotted to the respondent number 01 herein for a period starting from 11.04.2018 and ending on 10.04.2028 and accordingly mining permissions were granted to the respondent who thereafter obtained the Environmental Clearance, however, the respondent herein has started mining activities beyond the permissible limits and has made a complete mockery of the terms and conditions mentioned in the EC issued without obtaining the Consent to Operate and Consent to Establish by competent authorities thereby causing environmental pollution and acting in blatant violation of the laws aggrieved by which the applicant has preferred this instant application.

B. Facts of The Case:

1. That, the land in question was granted to one Mr. Dinesh Porwal for the purpose of operating a mining lease at the Patwari Halka Number 23, Survey Number 65 admeasuring a total of 2.000 hectares located at the village Bibdod in Tehsil and District Ratlam, Madhya Pradesh in the year 2008 for a period of ten years and was subsequently renewed and an application was made in 2017 which permission was granted by the Mining Officer (acting for Collector) vide agreement dated 30.03.2021 in accordance with the *Madhya Pradesh Gaund Khanij Niyam, 1996* for a period of ten years ending on 10.04.2028. A copy of the agreement between Mr. Dinesh Porwal and the Mining Officer is being marked and enclosed herewith as **Annexure-A/1**.
2. That, Mr. Dinesh Porwal therein after approached the Madhya Pradesh Pollution Control Board, Ujjain seeking Consent to Establish and Consent to Operate and the MPPCB, vide consent order dated 12.07.2021 bearing Consent Number AW-89282 granted the Consent to Operate till 28.12.2022. A copy of the Consent to Operate dated 12.07.2021 is being marked and enclosed herewith as **Annexure-A/2**.
3. That, the respondent number 01 herein applied for a transfer of the said mining lease in his favour and entered into an agreement

with the then owner of the land in question, i.e. Mr. Dinesh Porwal and accordingly an application dated 03.10.2022 was placed before the competent authority and the Mining Officer (acting for collector) vide order dated 28.11.2022 was transferred to the respondent number 01 herein. A copy of the application, order and the agreement are collectively being marked and enclosed herewith as **Annexure-A/3 (Colly.)**.

4. That, Mr. Dinesh Porwal, without informing the concerned authorities about the change in management and ownership of the mine, approached the Madhya Pradesh Pollution Control Board seeking a Consent to Operate which was granted vide consent bearing number AW-109338 dated 27.01.2023 effective from 27.01.2023 to 28.12.2027 whereby certain terms and conditions were prescribed. It is germane to mention over here that the aforesaid Consent was granted in favour of Mr. Dinesh Porwal (Mines and Crushing Unit) which was never transferred in the name of the Respondent Number 01. It is also important to note that neither Mr. Dinesh Porwal, nor the Respondent Number 01 herein ever obtained a Consent to Establish from the Madhya Pradesh Pollution Control Board. A copy of the Consent to Operate is being marked and enclosed herewith as **Annexure-A/4**.

5. That, it is apposite to mention that under the head of "General Conditions", the third point states about the transfer of the Consent to Operate which states as hereunder:

"...This consent/authorisation is transferable, in case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Directors/proprietor should immediately apply for the same..."

However, the new lessee of the mine, the respondent number 01 herein, never obtained a fresh Consent to Operate and never applied for a Consent to Establish.

6. That, it is most respectfully submitted that the Respondent Number 01, from the date of the grant of the mines had started reckless and rampant mining activity involving use of blasting methods which have severely impacted the environment against which the residents of the adjacent villages had preferred a complaint before the learned Collector of the District who, vide order dated 16.05.2023 directed the Respondent Number 01 herein to performed small and controlled blasting while leaving a 200 meters area from the nearby dam. A copy of the complaint and the order dated 16.05.2023 are marked and enclosed herewith as

Annexure-A/5.



7. That, it is pertinent to mention over here that in the aforesaid order dated 16.05.2023 the Collector has mentioned about the "newly constructed dam" constructed by the Water Resource Department and has directed the respondent number 01 to operate at at least a 200 meters distance from the said dam.

8. That, the respondent number 01 then approached the MPSEIAA (Madhya Pradesh State Environment Impact Assessment Authority), Ministry of Environment Forest and Climate Change, Government of India seeking an Environmental Clearance which was granted vide order dated 29.01.2024 bearing EC Identification Number EC24B001MP196626 in favour of the Respondent Number 01. A copy of the Environmental Clearance dated 29.01.2024 is being marked and enclosed herewith as **Annexure-A/6**. It is pertinent to note that the respondent number 01 continued mining activities even without the grant of the Environmental Clearance.

9. That, it is most respectfully submitted that after the grant of the environmental clearance, the respondent number 01 has been conducting mining activity without having all the requisite permissions and without following the terms and conditions mentioned in the EC without obtaining the CTO and the CTE. The violations are mentioned herein below:

Sr.	Condition Mentioned	Status

1	The project shall be at least 200 meters away from the nearest river body and a green belt must be developed in the said 200 meters area.	The mining has been expanded beyond permissible limits and is now about 46.53 meters away from the nearest dam which supplies water to the adjacent villages. An image depicting the exact distance between the mine and the dam is being marked and enclosed herewith as <u>Annexure-A/7.</u>
2	No trees must be fell and instead the trees in the vicinity of the mine must be conserved.	The area in question has no trees left and no afforestation or any other means of conservation of the trees has been opted for by the complainant herein. Some images showing the mined land without any plant or tree is being annexed as <u>Annexure-A/8.</u>
3	Project Proponent should	No road has been constructed

	create a <i>pucca</i> road (tar road) which shall serve as the approach road to the mines.	by the project proponent respondent number 01 herein. Some images showing the panoramic view of the mine without any road in question are annexed as <u>Annexure-A/9.</u>
4	Project proponent shall develop fast growing trees and 4 meter heighted GI Sheets around the mine to prevent the winds from polluting the nearby areas.	No GI sheet has been erected nor has any plantation been made by the Project Proponent. Some images depicting the absence of GI sheets and plants are being marked and enclosed herewith as <u>Annexure-A/10.</u>
5	Before the starting of the mining activity, the project proponent must ensure fencing around the project area and place warning signs and appoint a security guard to ensure that no accidents	No fencing has been done, no warning signs have been placed and no guard has been appointed by the project proponent, respondent number 01 herein. Images depicting the absence of

	happen.	warning signs, fencing and guard are being marked and enclosed herewith as <u>Annexure-A/11.</u>
6	The project proponent will ensure a concrete/tar <i>pucca</i> approach road along with ensuring an alternative route outside the village for the trucks and other vehicles to commute to and from the mine.	There is no approach road to the mine and there is no alternative route arranged for by the project proponent.
7	The project proponent shall ensure 7.5 meters of no mining area around the mine and shall also develop a green belt by making plantations in three rows around the mine.	The mine has exceeded the boundary allotted and despite there being a demarcation, the mining activity is being conducted beyond the said limits while no plantation has been done. Images depicting the reckless mining at the stake of the environment are being marked and enclosed

		herewith as <u>Annexure-A/12</u> .
8	Project proponent must ensure that water is regularly sprinkled to suppress the dust rising from the mining activity.	No water sprinkling is being done by the project proponent which results in respiratory issues to the residents of the nearby villages.

C. Grounds:

1. Because, the mining activity is being conducted by the respondent number 01 without obtaining the Consent to Establish and the Consent to Operate in blatant violation of the laws.
2. Because, the mine has overreached its allotted boundaries and has reached dangerously close to the nearby dam which may get damaged due to the blasting activities of the project proponent and will inevitably result in a huge disaster.
3. Because, the project proponent has not complied with the terms and conditions mentioned in the EC which has caused immense pollution and health hazards to the resident of the nearby villages.
4. Because, the respondent number 01 is mining without any regard to the environment and is thereby causing irreparable harm to the environment of the area concerned.

PRAYER

The applicant therefore most respectfully prays that this Hon'ble Tribunal may most graciously be pleased:

1. To direct the respondent number 01 to stop from conducting illegal mining on the land in question.
2. To impose heavy compensation against the environmental harm caused and hence for the restoration of the environment.
3. Any other suitable relief deemed fit in the facts and circumstances of the case may also be granted together with the cost of this application which will be pertinent in the interest of justice.

Bhopal

Date: 11.11.2024

uladary

Applicant

[Signature]

Counsel for the Applicant

C-304, Block - B

Mahadev Parisar Apartments, Shivaji Nagar

Bhopal, Madhya Pradesh - 462016

Mo. 7987165119

VERIFICATION

I, Vijay Shankar Pandey, S/o Om Prakash Pandey, age about 36 years, resident of Komal Nagar Ratlam do hereby verify that the contents of paras 01 to End are true to my personal knowledge and paras 1 to end believed to be true on legal advice and that I have not suppressed any material fact.

Date

Place

uladary

Applicant

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL BENCH AT BHOPAL, MADHYA PRADESH**

OA No.244/2024

IN THE MATTER OF:

APPELLANT:

Vijay Shankar Pandey

//VERSUS//

RESPONDENT:

Suman Kalal & Ors.

AFFIDAVIT

I, Vijay Shankar Pandey, S/o Om Prakash Pandey, R/o Komal Nagar, Ratlam, Madhya Pradesh & Applicant in this application do hereby state

oath as under:-

1. That, I am the applicant in this Original Application and as such I am well versed with the facts of the case and therefore am competent to swear this affidavit.
2. That, the accompanying Original application has been drafted and filed in accordance with my instructions and I have understood the same.
3. That, the contents of this affidavit are true to my knowledge and on the basis of the information and documents available with me.

Wmday
Deponent

VERIFICATION

I, Vijay Shankar Pandey, the above named deponent, do hereby verify that the contents of Para 1 to 3 of the above affidavit are correct and true to my personal knowledge.

Wmday
Deponent

श्री विजय शंकर पांडेय
आत्मज श्री ओम प्रकाश पांडेय
निवासी श्री कमल नगर रातलम
द्वारा आज दिनांक 04/11/2024
को मेरे समक्ष शपथ ग्रहण की।
श्री एडवोकेट अनिल देवेश शर्मा
ने शपथ ग्रहीता को पहचाना।

[Signature]
राजेश कुशवाह
शपथ आयुक्त, भोपाल

प्रमाणित किया जाता है कि शपथ-पत्र सुनाया, समझाया गया। उसे सही मानकर हस्ताक्षर/अंगूठा मेरे समक्ष अंकित किया गया।

[Signature]
राजेश कुशवाह
शपथ आयुक्त, भोपाल

[Signature]
IDENTIFIED BY ME

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL, MADHYA PRADESH**

ORIGINAL APPLICATION NO.244/2024

IN THE MATTER OF:

APPLICANT: Vijay Shankar Pandey

//VERSUS//

RESPONDENT: M/S Gopal Choudhary (Bibdod Stone
Quarry) & Ors.

LIST OF DOCUMENTS

<u>Sr. No.</u>	<u>Particulars</u>	<u>Annexure</u>	<u>Pg. No.</u>
1	A copy of the agreement between Mr. Dinesh Porwal and the Mining Officer	A/1	19-25
2	A copy of the Consent to Operate dated 12.07.2021	A/2	26-31
3	A copy of the application, order and the agreement	A/3	32-38
4	A copy of the Consent to Operate	A/4	39-44
5	A copy of the complaint and the order dated 16.05.2023	A/5	45-46
6	A copy of the Environmental Clearance dated 29.01.2024	A/6	47-57
7	An image depicting the exact distance between the mine and the dam	A/7	58
8	Some images showing the mined land without any plant or tree	A/8	59-
9	Some images showing the panoramic view of the mine without any road in question	A/9	60-62
10	Some images depicting the absence of GI sheets and plants	A/10	63-

11	Images depicting the absence of warning signs, fencing and guard	A/11	64-65
12	Images depicting the reckless mining at the stake of the environment	A/12	66-72

Place: Bhopal

Date: 03 .11.2024

Warday

Applicant

[Signature]

Counsel for the Applicant

C-304, Block - B

Mahadev Parisar Apartments, Shivaji Nagar

Bhopal, Madhya Pradesh - 462016

Mo. 7987165119



Registration and Stamps Department Madhya Pradesh

प्रारूप - सात
उत्खनन पट्टा विलेख
नियम 26 देखिये)

यह करार एक पक्षकार के रूप में कलेक्टर रतलाम के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात "पट्टाकर्ता" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां सन्दर्भ के अनुकूल है, वहां उनके पदोत्तरवर्ती भी है) और दूसरे पक्षकार श्री दिनेश पिता श्री किशनलाल पोरवाल निवासी 04, सुभाष मार्ग शहर सराय, जिला रतलाम, म.प्र. (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय सहित) जिसे इसमें इसके पश्चात, पट्टेदार कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां सन्दर्भ के अनुकूल है, वहां उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, तथा अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिनी भी है)

अथवा


के बीच आज तारीख 30/03/2021 को किया गया।

पट्टेदार / पट्टेदारो ने, मध्यप्रदेश गोण खनिज नियम, 1996 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) इसके नीचे लिखी गई अनुसूची के भाग-एक में वर्णित भूमियों के संबंध में पत्थर के हेतु उत्खनन पट्टे के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया गया है, और राज्य सरकार के पास प्रतिभूति के रूप में रुपये 5000/- की राशि जमा की है।

इस बात का साक्षी है कि इस विलेख में तथा इसमें इसके नीचे लिखी अनुसूची में या उसके द्वारा आरक्षित और अंतर्विष्ट भाटको तथा स्वामित्वो का पट्टेदार/पट्टेदार द्वारा भुगतान किये जाने और उसके/ उनके द्वारा अनुपालन, पालन की जाने वाली प्रसविदाओं तथा करारों के प्रति फलस्वरूप, समक्ष प्राधिकारी एतद् द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारो को पट्टा प्रदान और अंतरित करता है।

केशर मशीन द्वारा गिट्टी निर्माण की ऐसी समस्त खदानें (यहाँ खनिज या खनिजों का विवरण दें) (जिसे इसमें इसके पश्चात और अनुसूची में उक्त खनिजों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है), जो उन भूमियों में, जिन्हें उक्त अनुसूची के भाग-एक में निर्दिष्ट किया गया है, स्थित, अवस्थित है और उनमें तथा उसके नीचे है, इसके संबंध में प्रयोज्य स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों को सम्मिलित करते हुवे, जो उक्त अनुसूचि के भाग-दो में वर्णित है, ऐसी स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने तथा उपभोग करने के संबंध में उन निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुवे, को उक्त अनुसूची के भाग-तीन में वर्णित है, इस अपवाद के साथ और इस पट्टे में से, राज्य सरकार के प्रति वे स्वतंत्रताएं, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार आरक्षित करते हुवे, जो उक्त अनुसूची के भाग-चार में वर्णित है, परिसर दिनांक 11/04/2018 से 10/04/2028 आगामी दस वर्ष की कालावधि के लिये धारण करने हेतु पट्टेदार को, एतद् द्वारा प्रदान किये जाते है, पट्टे पर दिये जाते है।, अतः उन विभिन्न भाटको तथा स्वामित्वो को, जो उक्त अनुसूची के भाग-पांच में वर्णित है, क्रमशः ऐसे समयों पर, जो उसमें विनिर्दिष्ट है, उक्त अनुसूची के भाग-छः में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुवे राज्य सरकार को देगा या उनका भुगतान करेगा और पट्टेदार एतद् द्वारा, राज्य सरकार के साथ ऐसी प्रसविदा करता है /

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)





21

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

करते हैं, जिसे उक्त अनुसूची के भाग-सात में अभिव्यक्त किया गया है, और राज्य सरकार एतद द्वारा पट्टेदार के साथ ऐसी प्रसविदा करती है, जिसे उक्त अनुसूची के भाग-आठ में अभिव्यक्त किया गया है, और इसके पक्षकारों के बीच पारस्परिक रूप से ऐसी सहमति की जाती है, जो अनुसूची के भाग-नौ में अभिव्यक्त की गई है।

जिसकी साक्ष्य में यह विलेख उस दिनांक और वर्ष को जो उपर लिखे है, उस रीति में, जो इसके अधीन प्रकट होती है, निष्पादित किया जाता है।

उपर निर्दिष्ट अनुसूची

भाग एक

इस पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान और क्षेत्र -

बिबडोद ग्राम में स्थित भूमियो वह समस्त भू-भाग (क्षेत्र या क्षेत्रों का वर्णन) जो रतलाम तहसील में बिबडोद ग्राम पंचायत में है और जो खसरा क्रमांक 65 जिसमें हे. या उसके लगभग 2.000 हेक्टेयर का क्षेत्र है जो इससे सलग नक्शे में अंकित है तथा जो लाल रंग से दर्शाया गया है, और जिसकी सीमाएं निम्नानुसार है:-
उत्तर में - सर्वे क्रमांक 65 की शेष भूमि

दक्षिण में - सर्वे क्रमांक 65 की शेष भूमि

पूर्व में - सर्वे क्रमांक 65 की शेष भूमि

और

पश्चिम में - सर्वे क्रमांक 65 की शेष भूमि

जिन्हें इसमें इसके पश्चात "उक्त भूमि" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है,


भाग दो

उन निबंधनों तथा शर्तों के अध्ययन में रहते हुए, जो भाग तीन में दिये गये हैं, पट्टेदार द्वारा प्रयोग और उपभोग की जाने वाली स्वतंत्रताएं, शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार

1. भूमि पर प्रवेश करना तथा खनिज प्राप्त करना, तथा कार्य करना इत्यादि - एतद्वारा किये गये पट्टा अंतरण की अवधि के दौरान समस्त समयों पर, उक्त भूमि पर प्रवेश करने और उक्त खनिज/खनिजों को प्राप्त करने के संबंध में कार्य करने, उनकी दरेसी करने, प्रसंस्कारित करने, सपरिवर्तित करने, ले जाने तथा उनका निपटारा करने के बारे में स्वतंत्रता तथा शक्ति.

लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)

प्रमाणित प्रति





22

Registration and Stamp Department

Madhya Pradesh

2. मशीनरी, उपस्कर इत्यादि को लाना तथा उनका उपयोग करना - इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिये या उसके संबंध में उक्त भूमि पर या उसके नीचे कोई इंजन, मशीनरी, संयंत्र, दरेसी-फर्शों, ईट भट्टा, कर्मशाला, भंडारगृह, गौटाम, शेड तथा अन्य भवन और अन्य कार्य स्थापित करने, निर्माण करने, संधारण करने और उपयोग करने तथा उस भूमि पर या उसके नीचे उसी प्रकार की सुविधाओं के लिये या उनके संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति.

3. रास्तों तथा मार्गों इत्यादि का बनाया जाना और विद्यमान रास्तों तथा मार्गों का उपयोग - इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिये या उसके संबंध में, उक्त भूमि में या उसके उपर कोई ट्राम पंथ, रास्ते तथा अन्य मार्गों को बनाने और चौड़ो, पशुओं, वेगनों या अन्य वाहनों सहित या रहित उसका (या उक्त भूमि में उस पर किसी विद्यमान ट्रामपंथों, रास्तों तथा अन्य मार्गों) ऐसी शर्तों पर, जैसी की सहमत हो, उनका उपयोग करने की या उनके संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति.


4-भवन तथा रास्तों की सामग्री इत्यादि:-
इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजना के लिए या उसके संबंध में उत्खनन कर पत्थर, बजरी तथा भवन और रास्ते के निर्माण संबंधी अन्य सामग्रियों तथा मिट्टी प्राप्त करने और उनका उपयोग करने और उन्हें काम में लेने तथा ऐसी मिट्टी से ईट या कवेलू विनिर्मित करने और ऐसे ईटो तथा कवेलुओं का उपयोग करने के लिए और उसके संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति, किन्तु ऐसी सामग्री, ईटो या कवेलुओं का विक्रय करने के लिए नहीं।

5-जलधाराओं से पानी का उपयोग इत्यादि:-
इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए किन्तु किसी विद्यमान या भावी पट्टेदारों के अधिकारों के अध्यधीन रहते हुए तथा कलेक्टर की लिखित अनुज्ञा से उक्त भूमि में या उक्त भूमि पर किन्हीं जलधाराओं, जलमार्गों, झरनों या अन्य स्रोतों को काम में लाने और उनका पानी उपयोग करने या ऐसी किसी जलधारा या जलमार्ग को मोड़ने, उसे बढ़ाने या उस पर बांध बनाने या ऐसे किसी जल को संग्रहित करने तथा अवरुद्ध करने और किसी जलमार्ग, पुलिया, नालियां या जलाशयों को बनाने, निर्माण करने और बनाये रखने के लिए और उस संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति, किंतु इस प्रकार नहीं कि जिससे किन्हीं कृष्य भूमियों, ग्रामों, भवनो या पशुओं के पानी पीने के स्थानों या पूर्व में आवश्यकतानुसार युक्तियुक्त रूप से जल प्रदाय से वंचित रहेगा और न किसी भी प्रकार से किसी जलधारा या झरनों को गंदा या प्रदुषित ही करेगा, परन्तु यह कि पट्टेदार किसी नाष्य जलधारा में नौचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा या राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसा जलधारा को नहीं मोड़ेगा।

6-चट्टे लगाने ढेर लगाने जमा करने के प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग:-
उक्त भूमियों की सतह के पर्याप्त भाग पर उसमें खदानों के किसी उत्पाद या किये गये कोई कार्य और किन्हीं औजारों, उपस्करों मिट्टी तथा सामग्रियों और पदार्थों के जो इस भाग में वर्णित स्वतंत्रताओं शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोदे गये हों या निकले गये हों, चट्टे लगाने ढेर लगाने भण्डारण करने या जमा करने के प्रयोजनों के लिए, प्रवेश करने और उपयोग करने की स्वतंत्रता तथा शक्ति।

प्रमाणित प्रति

कोब. सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

भाग तीन-भाग दो में वर्णित स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के संबंध में निबंधन तथा शर्तें

(Terms and Conditions)

1. कतिपय स्थानों पर कोई भवन इत्यादि नहीं होगा- किसी सार्वजनिक विहार भूमि, श्मशान भूमि कब्रस्तान भूमि या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माने गये किसी स्थान या ऐसे अन्य स्थान में या जिसे राज्य सरकार सार्वजनिक स्थान के रूप में अवधारित करे, कोई भवन या तटदृश्य कोई संरचना ऐसी रीति में निर्मित, स्थापित या रखी नहीं जायेगी और कोई भी भूतल संक्रियाएँ नहीं की जायेगी जिससे किन्हीं भवनों, कार्यों, सम्पत्तियों या अन्य व्यक्तियों के अधिकार को, यदि कोई हो या कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े और भूतल संक्रियाओं के लिये ऐसी किसी भूमि का, जो इस पट्टे में सम्मिलित न होने वाले कार्यों या प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार से भिन्न अन्य व्यक्तियों द्वारा पूर्व में ही दखल में ली गई हो, उपयोग नहीं किया जाएगा। पट्टेदार किसी मार्ग, कुएं या तालाब के संबंध में किसी अधिकार में हस्तक्षेप भी नहीं करेगा करेगी।

2. ऐसी भूमि जो पूर्व से उपयोग में न हो, भूतल संक्रियाओं के लिये अनुज्ञा - ऐसी भूमि का, जो भूतल संक्रियाओं के लिये पूर्व में ही उपयोग में नहीं लाई गई है, उस बाबत उपयोग करने पूर्व, पट्टेदार, जिले के कलेक्टर को दो कलेण्डर पूर्व की एक लिखित सूचना देगा जिसमें स्थान का नाम या अन्य वर्णन या इस प्रकार उपयोग किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि की सीमा और वह प्रयोजन जिसके लिये व अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट किया जायेगा तथा उक्त भूमि का, यदि कलेक्टर, उसके द्वारा ऐसी सूचना प्राप्ति के दो मास के भीतर आपत्ति करे, तब इस प्रकार उपयोग नहीं किया जायेगा, जब तक की इस प्रकार की, की गई आपत्ति, राज्य सरकार को निर्देश किये जाने पर, निष्प्रभावित नहीं की जाती या वह अभित्यक्त नहीं कर दी जाती।

1 [3.....]

4. लगी हुई शासकीय अनुज्ञप्तियों तथा पट्टों के लिये सुविधाएँ- पट्टेदार, ऐसी किसी भूमि पर, जो पट्टेदार द्वारा धारित भूमि में समाविष्ट है, या ऐसी भूमि से लगी हुई है या जिस तक उसके/उनके द्वारा धारित भूमि से पहुँचा जाता है, शासकीय अनुज्ञप्तियों या पट्टे के विद्यमान या भावी धारकों को उस तक पहुँच की युक्तियुक्त सुविधायें प्रदान किये जाने बाबत अनुज्ञा देगा:

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तियों या पट्टों के ऐसे धारकों द्वारा इस विलेख के अधीन पट्टेदार की संक्रियाओं के बारे में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप नहीं किये जाएगा और इस स्वतंत्रता का उपयोग किये जाने के कारण पट्टेदार को हुई हानि या नुकसान के लिये पट्टेदार को ऐसे उचित प्रतिकर दिया जाएगा जैसा की पारस्परिक रूप से सहमत हो या असहमति की दशा में जैसा की राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाये।


भाग-चार

राज्य सरकार के लिये आरक्षित स्वतंत्रताये, शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार

1. अन्य खनिजों के बारे में कार्य कराना - राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या किसी

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)





पट्टेदार को उक्त भूमि में उस पर प्रवेश करने और उक्त खनिजों को छोड़कर अन्य खनिज तथा किन्हीं अन्य पदार्थों की खोज करने, प्राप्त करने, उसके संबंध में कार्य करने, खोदने, पाने, उत्खनन करने, दृष्टी करने, प्रसंस्कारित करने, संपरिवर्तित करने और ले जाने और उन प्रयोजनों के लिये, खनने, सुरंग बनाने, तैयार करने, स्थापित करने, निर्माण करने, सधारण करने और ऐसे गड्डों, कुपकों, आनतियों, अनुसुरंगों, समतालिकाओं तथा अन्य लाईनों, जलमार्गों, वयुमार्गों, जल प्रवाहों, नालों, जलाशयों, इंजनों, मशीनरियों, संयंत्र, भवनों, नहरों, ट्रामपथों, रेलपथों, सड़क मार्गों तथा अन्य कार्यों और ऐसी का सुविधाओं का जैसी की आवश्यक या सुविधाजनक समझी जाये, उपयोग करने की स्वतंत्रता तथा शक्ति:

परन्तु यह कि ऐसी स्वतंत्रता तथा शक्ति का प्रयोग करने में, इस विलेख के अधीन पट्टेदार की स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों के प्रति या उनके संबंध में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप कारित नहीं किया जायेगा और इस स्वतंत्रता और शक्ति का प्रयोग किये जाने के कारण या उसके परिणामस्वरूप पट्टेदार को ऐसा उचित प्रतिकार दिया जाएगा जैसा कि पारस्परिक रूप सहमत हो, या असहमति की दशा में जैसा की राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाये।

2. रेलपथ तथा रास्ते बनाना- राज्य सरकार या इस निर्मित उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या किसी पट्टेदार को इस विलेख के भाग-दो में वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिये उक्त भूमियों में तथा उस पर प्रवेश करने और उस पर, उसके उपर या उसके आर पार किन्हीं रेल पथों, ट्रामपथों तथा सड़क मार्गों को बनाने, संधारित करने और उनकी मरम्मत करने या किन्हीं विद्यमान रेलपथों, ट्रामपथों, सड़कमार्ग, पाईप लाईनों तथा अन्य मार्गों से या उन पर से या उनके साथ-साथ समस्त प्रयोजनों के लिये और किसी अवसर पर आपेक्षित हो, घोड़ों, पशुओं या अन्य पशुगाडियों, वेगनों, वाहकों, लोकोमोटिवों या अन्य वाहनों सहित या रहित पुनः पार करने की स्वतंत्रता तथा शक्ति:

परन्तु यह कि ऐसे अन्य पट्टेदार या व्यक्ति द्वारा ऐसी स्वतंत्रता तथा शक्ति का प्रयोग करने में, इस विलेख के अधीन पट्टेदार की स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों के प्रति या उसके संबंध में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप कारित नहीं किया जाएगा और इस स्वतंत्रता या शक्ति का प्रयोग किये जाने के कारण या उसके परिणामस्वरूप पट्टेदार को हुई हानि या नुकसान के लिये पट्टेदार को ऐसा उचित प्रतिकार दिया जायेगा जैसे कि पारस्परिक रूप से सहमत हो या असहमति की दशा में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाया।

भाग-पांच


इस पट्टे द्वारा आरक्षित भाटक और स्वामित्व(Royalty), अनिवार्य भाटक (डेडरेट) या स्वामित्व, जो भी उच्चतर हो, का भुगतान करना

1. पट्टेदार 1 [2,00,000/-] प्रत्येक वर्ष के लिये इसे भाग के खंड 2 में विनिर्दिष्ट अनिवार्य भाटक का भुगतान करेगा:

परन्तु इस नियमों के नियम-30 के अधीन जहाँ ऐसे पट्टे का धारक उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता, प्रबंधक, नियोजित व्यक्ति, ठेकेदार या उप पट्टेदार द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये गये या खपाये गये किसी भी खनिज के लिये स्वामित्व (रायल्टी) के भुगतान करने के लिये दायी हो गया है, वहाँ वह ऐसे क्षेत्र के संबंध में ऐसे स्वामित्व या अनिवार्य भाटक, जो भी उच्चतर हो, का भुगतान करने का दायी होगा।

लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)

प्रमाणित प्रति



Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh



2. भाटक और अनिवार्य भाटक के भुगतान का ढंग - इस भाग के खंड-1 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, पट्टे के अस्तित्व के दौरान पट्टेदार पट्टान्तरित और इस अनुसूची के भाग - एक में वर्णित भूमियों के लिये, इन नियमों की अनुसूची चार में तत्समय विनिर्दिष्ट दर से ऐसी रिति में, जैसा कि नियम-30(1) (क) में विनिर्दिष्ट है, वार्षिक अनिवार्य भाटक का राज्य सरकार को भुगतान करेगा।
3. स्वामित्व के भुगतान की दरें तथा ढंग- इस भाग के खंड-1 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, पट्टेदार इस पट्टे के अस्तित्व के दौरान उसके द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये गये खनिज/खनिजों के संबंध में नियम-30 (1) (ख) में विनिर्दिष्ट किये गये स्वामित्व का, इन नियमों की अनुसूची-तीन में तत्समय विनिर्दिष्ट दर से राज्य सरकार को भुगतान करेगा।
4. सतही भाटक का भुगतान- पट्टेदार उक्त भूमियों के जो समय-समय पर पट्टेदार द्वारा इस विलेख के प्राधिकार के अधीन दखल की गई है या उपयोग की गई है, समस्त भागों के सतह के संबंध में, क्रमशः प्रतिवर्ष प्रति हेक्टर या उसके किसी भाग के लिये रुपये 100/- की दर से या ऐसे दखल या उपयोग के प्रारंभ होने की कालावधि के दौरान रखल किये गये या उपयोग किये हुए उसके भाग का, जब तक कि क्षेत्र का इस प्रकार दखल या उपयोग समाप्त न हो जाए, भाटक का राज्य सरकार को भुगतान करेगा और इस प्रकार उपयोग की गई सतह भूमि को यथासंभव उसकी मूल स्थिति में प्रत्यावर्तित करेगा। सतह भाटक का भुगतान नियम 30(1)(ग) में दिये गये ब्योरे के अनुसार किया जाएगा।

भाग-छः


भाटक और स्वामित्व संबंधी उपबंध

1. भाटक और स्वामित्व कटौती आदि से मुक्त होंगे- इस अनुसूची के भाग-पाँच में उल्लेखित भाटक और स्वामित्व का, नियम 30(1) में यथाविनिर्दिष्ट, राज्य सरकार को किसी भी कटौती से मुक्त भुगतान किया जाएगा।
2. स्वामित्व के संगणना के ढंग- उक्त स्वामित्व की संगणना करने के प्रयोजनों के लिये, पट्टेदार खपत किये गये तथा प्रेषण किये गये खनिज/खनिजों के उत्पादन का एक सही लेखा रखेगा, साथ ही खनिज/खनिजों की मात्रा का, जो की स्टॉक में है, या निर्यात की प्रक्रिया में है, इस नियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जाँच पड़ताल की जा सकेगी।
3. यदि भाटकों और स्वामियों का समय पर भुगतान नहीं हाता है, तो कार्यवाही - इस विलेख में निबंधनों तथा शर्तों के अधीन राज्य सरकार को शोध्य कोई भाटक, स्वामित्व या अन्य रकम का पट्टेदार द्वारा लिखित समय में भुगतान नहीं किया जाता है तो, वह रकम, उस पर शोध्य चौबिस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, साधारण ब्याज के साथ, खनिज अधिकारी/सहायक खनिज अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी।

भाग सात

पट्टेदार/पट्टेदारों की प्रसंविदाएँ

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला रतलाप (न.प्र.)





MCI
Part 26
13/7/21

17 - Bharatpuri, Ujjain
UJJAIN
UJJAIN
Tele : 0734- 2510984

RED-SMALL

CCA-Renewal

CONSENT NO: ***

PCB ID: 96910

Annexure - A/2

Outward No: 17056.12/07/2021
NO: 7/MPPCB/UJJ

Consent No:AW-89282

To,
The Occupier,
M/s. Dinesh Porwal (Mine & Crushing Unit),
S.No. 65, Village-Bibrod Tehsil & Distt. Ratlam,
Village-Bibrod Tehsil & Distt. Ratlam, City : Bibdod,
Dist : Ratlam, Tal : Ratlam Nagar, SIDC : Not In SIDC, Latitude : 23.3387 Longitude : 74.9549

Subject: Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref: Your Consent to Operate Application Receipt No. 1082277 Dt. 01/07/2021 and last communication received on Dt.29/06/2021

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to 28/12/2022, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

- a. Location: S.No. 65, Village-Bibrod Tehsil & Distt. Ratlam
- b. The capital investment in lakhs: Rs. 45
- c. Product & Production Capacity:

Product	Qty / year
Mining of stone	16975.000 MT3
stone Crushing	16975.000 MT3

Note:- For any change in above industry shall obtain fresh consent from the board.

The Validity of the consent is up to 28/12/2022 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

- * Conditions under Water Act
- * Conditions under Air Act
- * General conditions

लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)

प्रमाणित प्रति

Digitally Signed by H.K. Tiwari
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # 9W51P7R14B

Signature Not Verified
Digitally Signed by :
H.K.TIWARI, E.E.
Date: 12/07/2021 04:29:22 PM

HEMANT KUAMR TIWARI
Regional Officer

**CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-**

1. The daily quantity of trade effluent at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day, and the daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.300 KL/day

2. Trade Effluent Treatment:-

The applicant shall provide comprehensive effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD ₅ Days 27 <input type="checkbox"/> C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall provide comprehensive sewage treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD ₅ Days 27 <input type="checkbox"/> C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 2.500	WWG : 0.300	Water Source	Remark
1	Domestic Purpose	0.500	0.300	Borewell	
2	Spray in Mines	2.000	0.000	Borewell	

4. The effluent shall be treated up to prescribed Standards and reuse in the process, for cooling and for green belt devolvement/gardening within premises. Hence zero discharge condition shall be practiced. In no case treated effluent shall be discharged outside of industry/unit premises.

5. Any change in production capacity, process, raw material used etc. and for any enhancement of the above prior permission of the Board shall be obtained. All authorized discharges shall be consistent with terms and conditions of this consent. Facility expansions, production increases or process modifications which result new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a fresh consent application for prior permission of the Board

6. All treatment/control facilities/systems installed or used by the applicant shall be regularly maintained in good working order and operate effectively/efficiently to achieve compliance of the terms and conditions of this consent

7. The specific effluent limitations and pollution control systems applicable to the discharge permitted herein are set forth as above conditions.

8. Compilation of Monitoring data-

i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.

ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

9. Recording of Monitoring Activities & Results-

i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.

ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

लोक सूचना अधिकारी

Consent No:AW-89282

- (i) The date, exact place and time of sampling
(ii) The dates on which analysis were performed
(iii) Who performed the analysis?
(iv) The analytical techniques or methods used and
(v) The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.

iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

10. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

11. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relieve the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

12. Limitation of visible floating solids and foam:

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

13. Disposal of Collected Solid waste/sludge-

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

14. Provision for Electric Power Failure-

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

15. Prohibition of By pass system of treatment facilities-

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent is prohibited except :

- where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or
- Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.


16. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water condition:- (if any) :-

(1) The mine management shall make arrangement for full utilization of treated effluent inside the premises for plantation purpose and shall not discharge any effluent outside of the mine premises. Hence Zero discharge condition shall maintained

(2) The mine management shall construct garland

drains/trenches at foot of waste dump to arrest silt, sedimentation pits shall be constructed at the corner of the garland drain and de-silted at regular intervals


लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)

प्रमाणित प्रति

Consent No:AW-89282

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipments as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-
2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:
 - a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
 - b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
 - c. Sulphur Dioxide [SO₂] (24 hrs. Basis) - 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
 - d. Nitrogen Oxides [NO_x] (24 hrs. Basis) - 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
 - e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.
4. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.
5. All other fugitive emission sources such as leakages, seepages, spillages etc shall be ensured to be plugged or sealed or made airtight to avoid the public nuisance.
6. The industry/ unit shall ensure all necessary arrangements for control of odour nuisance from the industrial activities or process within premises
7. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.
8. Industry shall take effective steps for extensive tree plantation atleast in 03 rows of the local tree species with minimum spacing of 4X4 meter within or around the industry/unit premises for general improvement of environmental conditions and as stated in additional condition

Additional Air condition:- (if any) :-

- (1) The Mine shall take proper action to control the noise pollution. The ambient noise level shall not exceed the limit 75dB [A] during the day time and 70dB [A] during the night time within the premises.
 - (2) Vehicular emission should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicle used for transporting the minerals should be covered with tarpaulins And optimally loaded.
 - (3) The suspended particulate matter measured between 3 metres to 10 meters from crushing & screening equipments shall not exceed 600 micro grammas per cubic meter.
 - 4) Water sprinkle shall be provided for control of fugitive emission.
 - 5) Transportation shall be done through covered vehicle.
 - 6) Transportation should not be done through forest area.
 - 7) The vehicle used for the transportation of minerals / material shall be PU certified and shall be properly maintained to reduce the noise
- (4) The industry shall adopt following Air Pollution Control measures as per M.P. Pollution Control Board guide line dated: 19-02-2004 :
- (i) The screen should be enclosed with M.S. Sheets and a fan connected with motor to extract the dust generated during screening operation should be installed. Dust should be vented into a chamber wherein water sprinklers shall be provided for dust suppression.
 - (ii) A telescopic chute should be provided at the end of dropping zero gitti and dust/fines. Suitable water sprinkling system shall be provided to reduce the dust emission.
 - (iii) (a) Temporary water sprinklers shall be provided at the time of unloading from the truck/tripper.
 - (b) The unit should provide water sprinklers on the conveyor carrying raw material from bunker/bin to the crusher. The water should be sprayed in the form of mist with the help of a motor.
- (5) Stone crusher should develop green belt of 5000 sq. m. area for improvement of environment in general.

Consent No: AW-89282

- (v) Periodical cleaning of the water spray nozzles should be carried out to avoid chocking.
- (vi) Fine dust accumulated in the crushing areas should be periodically cleaned and the dumps should be covered with tarpaulin to arrest erosion by wind.
- (vii) The approach road should be properly developed and should be sprayed with water similarly the approach roads to individual crushers should be made in good conditions and watered.
- (viii) The drop height of the processed material should be kept at a minimum during loading and unloading.
- (ix) Conveyer chutes should be provided at the discharge points.
- (x) As an occupational safety all the workers should be provided with nose masks.

GENERAL CONDITIONS:

1. The non hazardous solid waste arresting in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

Non Hazardous Solid wastes:-

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny bags etc		Sale to authorized party/As Per CPCB, MoEF Guide lines / Others.

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:
- To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
 - To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
 - To sample at reasonable times any discharge or pollutants.
3. This consent / authorisation is transferable in nature, in case of any change in ownership / management, the new owner / partner / directors / proprietor shall immediately apply for the consent with new requisite information.
4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.
5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.
6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.
7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation
8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.
9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :
- Violation of any terms and conditions of this Consent.
 - Obtaining this Consent by misrepresentation or failure to disclose fully all relevant facts.
 - A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.
10. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Consent No:AW-89282

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा

जिला, खजुराहो (म.प्र.) "TPAV" Number.

Additional condition:- (if any) :-

- (1) This consent may not be taken as a measure of proof that mine has not violated pollution control law at any period of time in the past.
- (2) Mine Management shall comply with all the relevant Acts/Rules, directions, guidelines issued by MoEF/CPCB/MPPCB from time to time as required and (if applicable).
3. Mine Management shall comply with the direction of Hon'ble Supreme Court, National Green Tribunal & Hon:ble High Court issued in the relevant writ petitions.
- (4) Mine shall have to close down the mining activities in case there is any public complaint regarding health & environmental degradation and Board find the facts correct and direct the mine to do so at any time.
- (5) The mine management shall take preventive measures to control Fugitive dust emission from all the sources should be controlled effectively and duly monitored. Water spraying arrangement on haul roads, dump trucks (loading & unloading) point should be provided and properly maintained.

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorisation. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)


प्रमाणित प्रति

Digitally signed by HEMANT KUMAR TIWARI
DN: cn=HEMANT KUMAR TIWARI, o=M.P. Pollution Control Board

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # 9W51P7R14B

HEMANT KUMAR TIWARI
Regional Officer

Consent No: AW-89282



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH BY 012088
 श्रीमान् कलेक्टर महोदय (खनिज शाखा) जिला रतलाम के समक्ष
 प्रस्तुति हेतु सहमति-पत्र

माननीय महोदय,

सेवा में निवेदन है कि प्रार्थी पत्थर खनिज का उत्खनन क्रेशर तथा गिट्टी का निर्माण कर उसका विक्रय व्यवसाय करने के लिए श्री दिनेश पोरवाल श्री किशनलाल जी पोरवाल निवासी-रतलाम म.प्र. के नाम से ग्राम बिबडोद तहसील व जिला रतलाम की भूमि सर्वे क्रमांक 65 रकबा 2.000 हेक्टर क्षेत्र पर 10 वर्ष की अवधि के लिये दिनांक 11.04.2018 से 10.04.2028 तक के लिए स्वीकृत है। मेरा स्वास्थ्य / आर्थिक स्थिति ठीक न होने से पट्टे का संचालन में असमर्थ हूँ। मेरे द्वारा उक्त पट्टे की अंतरण दिनांक तक बकाया / रायल्टी राशि निकलती है, तो मैं भरने तैयार हूँ। उपरोक्त स्वीकृति उत्खनिपट्टे का आवेदक गोपाल चौधरी निवासी- अरनोद जिला प्रतापगढ राज. को मेरे नाम से शेष अवधि के लिए अंतरित करवाना चाहता हूँ तथा आवेदक श्री गोपाल चौधरी द्वारा अंतरण कार्यवाही पूर्ण करने वाले के पश्चात् ही उत्खनन कार्य करेंगे एवं समय-समय पर शासन के प्रावधानों का पालन करेंगे तथा अंतरण पश्चात् किसी भी प्रकार का निर्धारित पट्टा सम्बंधी कार्य की समस्त जवाबदारी आवेदक गोपाल चौधरी की रहेगी तथा आवेदक द्वारा नियमानुसार अंतरण शुल्क जमा कराकर चालान प्रति संलग्न की है।

लोक सूचना अधिकारी
 खनिज शाखा
 जिला रतलाम (म.प्र.)

NOTARY
 MOTILAL AKODIYA (M.A., L.L.)
 Ag. C.N. 3/4/85 M.P.
 Central Reg. No. 10275
 20/A, Jawahar Nagar, Ratlam

3 OCT 2022

मुझ सहमतिदाता के नाम से स्वीकृत क्षेत्र में उत्खननपट्टे का अंतरण किये जाने में मुझे किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी तथा आवेदक भी उसी निर्धारित क्षेत्र से उत्खनन करने को बाध्य रहेगा । जो स्वीकृत है तथा निर्धारित पट्टे की समस्त शर्तों एवं दायित्वों का निर्वाह भी आवेदक गोपाल चौधरी का रहेगा ।

दिनांक-03.10.2022

ATTESTED

सहमतिदाता हस्ता.

श्री दिनेश पोरवाल

निवासी-4, शहर सराय, रतलाम म.प्र.

गवाह -

1.


श्री अंकीत पिता जगदीश पोरवाल

निवासी-अरनोद, तहसील व जिला प्रतापगढ, राज.

2.

श्री रामप्रसाद पिता रमेशचंद्र पोरवाल

निवासी-3/4, पटवारी कॉलोनी, शक्ति नगर,
रतलाम म.प्र.



NOTARY

MOTILAL AKODIYA (M.A., L.L.
Ac. C.N. 3/4/85 M.P.
Central Reg. No. 10275
20/A, Jawahar Nagar, Ratlam

3 OCT 2022

लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)

प्रमाणित प्रति

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) 34 जिला-रतलाम (म0प्र0)

क्रमांक / 1987 / खनिज / 2022-23.

रतलाम, दिनांक 28/11/2022



अंतरक पट्टेदार श्री दिनेश पोरवाल पिता श्री किशनलाल जी, नि:- 4, सुभाष मार्ग, शहर सराय रतलाम, जिला-रतलाम (म0प्र0) को संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के स्वीकृति आदेश क्र0/2168-69/खनिज/उ0प./न.क. 04/2019. भोपाल दिनांक 02/02/2021 के माध्यम से ग्राम-बिबडोद, तह0 रतलाम, प0ह0न0.23, जिला-रतलाम (म0प्र0) की शासकीय भूमि के सर्वे नं 65, रकबा 2.000 हे0 को अवधि 11/04/2018 से अवधि 10/04/2028 तक क्रेशर मशीन आधारित पत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत किया गया था।

अंतरक पट्टेदार द्वारा दिनांक 03/10/2022 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उन्हें स्वीकृत उत्खनिपट्टे को शेष अवधि के लिये अंतरिती श्री गोपाल चौधरी निवासी अरनोद जिला प्रतापगढ राजस्थान के नाम अन्तरण किये जाने हेतु लिखित सहमति दी गई है।

म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 35 के उपनियम (1) के अनुसार तीन वर्ष के विद्यमान अनिवार्य भाटक (2,00,000/-प्रतिवर्ष) की तीन गुना राशि 6,00,000/- (चा0क्र0-051/999999/0853/11/22/009742) द्वारा दिनांक 18/11/2022 को जमा कर चालान की मूलप्रति प्रस्तुत की गई है, अंतरिती श्री गोपाल चौधरी निवासी अरनोद जिला प्रतापगढ राजस्थान के पक्ष में ग्राम-बिबडोद, तह0 रतलाम, प0ह0न0.23, जिला-रतलाम (म0प्र0) की शासकीय भूमि के सर्वे नं 65, रकबा 2.000 हे0 को अवधि 11/04/2018 से अवधि 10/04/2028 तक स्वीकृत क्रेशर मशीन आधारित पत्थर उत्खनिपट्टा को शेष अवधि हेतु अन्तरण की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि उक्त पट्टे की भूमि लॉजिस्टिक हब निर्माण हेतु म.प्र.इन्ड्रियल डेव्लपमेन्ट कार्पोरेशन को अन्तरित कर दी गई है। भविष्य में म.प्र.इन्ड्रियल डेव्लपमेन्ट कार्पोरेशन कब्जा प्राप्त करने पर अंतरिती द्वारा अंतरित पट्टे का कब्जा वापस शासन को प्रदान किया जायेगा।

अतः म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल द्वारा म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम अंतर्गत समय-समय पर जारी आदेश एवं निर्देश अंतरिती पर बंधनकारी रहेगे, जिनका उल्लंघन करने पर अंतरिती श्री गोपाल चौधरी निवासी अरनोद जिला प्रतापगढ राजस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसका जिम्मेदार अंतरिती स्वयं होगा।
(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

खनिज अधिकारी
(खनिज शाखा)

वास्ते-कलेक्टर, जिला रतलाम (म.प्र.)
रतलाम, दिनांक 28/11/2022

पृ0 क्रमांक / 1989 / खनिज / 2022-23.

प्रतिलिपि :-

- 01- वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल रतलाम, जिला-रतलाम (म0प्र0)।
- 02- अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तह0-रतलाम, जिला-रतलाम (म0प्र0)।
- 03- तहसीलदार, तह0-रतलाम, जिला-रतलाम (म0प्र0) की ओर स्वीकृत क्षेत्र पर शासन निर्देशानुसार सीमांकन कर पक्के सीमा चिन्ह कायम करवाये जाने एवं सीमांकन रिपोर्ट भिजवाने तथा खसरा पॉचसाला पी-2, के कॉलम 12 (केफियत) में दर्ज करने हेतु सूचनार्थ।
- 04- क्षेत्रीय प्रमुख, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 17-भरतपुरी, जिला-उज्जैन (म0प्र0)।
- 05- खनि-निरीक्षक, खनिज शाखा, जिला-रतलाम (म0प्र0) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
- 06- अंतरिती श्री गोपाल चौधरी निवासी अरनोद जिला प्रतापगढ राजस्थान की ओर प्रेषित कर लेख है कि पत्थर उत्खनिपट्टा अन्तरण के समस्त दायित्वों एवं शर्तों को स्वीकार करने का सहमति अनुबंध का पंजीयन नियत अवधि में करावे, अनुबंध नहीं करवाये जाने की स्थिति में यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
- 07- अंतरक पट्टेदार श्री दिनेश पोरवाल पिता श्री किशनलाल जी, नि:- 4, सुभाष मार्ग, शहर सराय रतलाम, जिला-रतलाम (म0प्र0) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)

खनिज अधिकारी

(खनिज शाखा)
जिला रतलाम (म.प्र.)
वास्ते-कलेक्टर, जिला रतलाम (म.प्र.)



REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT
REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT
REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT
REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT
REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT

35

रजिस्ट्रीकरण एव स्टाम्प विभाग मध्य प्रदेश

पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीकरण का विवरण

ई-पंजीकरण संख्या	MP319522022A11218845
पंजीकरण की तिथि	07/12/2022
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिन्ट करने की तिथि	08/12/2022
संपत्ति का मूल्य (यदि लागू है)	4695375
प्रतिफल राशि / प्रतिभूत राशि / प्रीमियम राशि (रुपये)	0
पंजीयन शुल्क (रुपये)	103442
कुल स्टाम्प शुल्क (रुपये)	137922
उप पंजीयक का नाम	PRASANNA GUPTA
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय रतलाम

पट्टादाता- स्वयं

नाम आकांक्षा पटेल
पिता/पति का नाम --
पता कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला रतलाम, रतलाम, मध्य प्रदेश, भारत

पट्टेदार- स्वयं

नाम दिनेश पोरवाल अंतरक
पिता/पति का नाम किशनलाल जी
पता 4, सुमाष मार्ग, शहर सराय जिला रतलाम, रतलाम, मध्य प्रदेश, भारत

नाम गोपाल चौधरी अंतरिती
पिता/पति का नाम गोविन्द चौधरी
पता अरनोद प्रतापगढ़ जिला राजस्थान हाल मुकाम ग्राम बिबडोद तहसील व जिला रतलाम, रतलाम, मध्य प्रदेश, भारत


Digitally signed by PRASANNA KUMAR GUPTA
Date: 2022.12.08 17:30:40 IST

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)

PK Gupta

उप पंजीयक के हस्ताक्षर





प्रारूप-चौदह

उत्खनन पट्टा के अंतरण के लिए माडल प्रारूप
(नियम 35 (3) देखिए)

जब अंतरक एक व्यक्ति है श्री दिनेश पोरवाल पिता श्री किशनलाल जी, निवासी 4, सुभाष मार्ग, शहर सराय जिला रतलाम, म.प्र. यह विलेख एक पक्षकार के रूप में (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरक कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो, वहां इसके अंतर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशिनी भी समझे जाएंगे)

और


जब अंतरिनी एक व्यक्ति है श्री गोपाल चौधरी पिता श्री गोविन्द चौधरी निवासी- अरनोद प्रतापगढ जिला राजस्थान द्वितीय पक्षकार के रूप में (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) (जिसे इसके पश्चात "अंतरिनी" कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो, वहां इसके अंतर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशिनी भी समझे जाएंगे)

तृतीय पक्षकार के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हे इसके पश्चात राज्य सरकार कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अंतर्गत उकने उतरवर्ती और समनुदेशिनी भी समझे जाएंगे) के बीच आज तारीख 05 माह 12 वर्ष 2022 को किया गया।

यतः तारीख 30/03/2021 के पट्टा विलेख के आधार पर, जो रतलाम (स्थान) के उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में तारीख 30/03/2021 को क्रमांक MP319522021A1325266 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है (जिसे इसके पश्चात "पट्टा" कहा गया है) और जिसकी मूल प्रति को उस पर "क" चिन्हांकित कर इसके साथ संलग्न किया गया है जो राज्य सरकार (जिसे इसमें "पट्टाकर्ता" कहा गया है) और अंतरक (जिसे इसमें "पट्टेदार" कहा गया है) के बीच किया गया है, अंतरक उससे संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमियों में वर्णित इस अर्वाधि के लिए तथा उन भाटकों और स्वामित्वों (रायल्टी) का भुगतान करने पर पट्टेदार की प्रसंविदा और शर्तों का, जो उक्त पट्टा विलेख में आरक्षित और अंतर्विष्ट है, पालन और अनुपालन करने पर पत्थर केशर गिट्टी (खनिज / खनिजों का नाम), ढूंढने के संबंध में, प्राप्त करने और खान और खनिजों से संबंधित कार्य करने का हकदार है तथा जिसके अंतर्गत ऐसी प्रसंविदा भी है कि वह सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना पट्टा या उसके अधीन किसी हित का समनुदेशन नहीं करेगा।

और यतः अंतरक जब अन्तरिनी को पट्टे का अंतरण और समनुदेशन करना चाहता है और सक्षम प्राधिकारी के अंतरक की प्रार्थना पर अंतरण आदेश क्रमांक/1987/खनिज/2022-23, रतलाम दिनांक 28/11/2022 अंतरक को पट्टे का ऐसा अंतरण और समनुदेशन इस शर्त पर करने की अनुज्ञा दे रही है, कि अंतरिनी एक ऐसा करार करेगा जिसमें इसमें इसके पश्चात वर्णित निबंधन और शर्तें होगी। अब यह विलेख निम्नानुसार इस बात का साक्षी है कि -

लोक सूचना अधिकारी प्रमाणित प्रति
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)





37
Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

1. अंतरिती एतद् द्वारा राज्य सरकार से प्रसंविदा करता है कि पट्टे के अंतरण और समनुदेशन से और उसके बाद, अंतरिती इसमें इसके पूर्व कथित किए गए पट्टों में अन्तर्विष्ट सभी प्रसंविदाओं, अनुबंधों और शर्तों के सभी उपबंधों का सभी प्रकार से पालन और अनुपालन करने के लिए और उसके अनुरूप कार्य करने के लिए उसी प्रकार से आबद्ध और दायी होगा मानो कि वह पट्टा अंतरिती को पट्टेदार के रूप में इस प्रकार प्रदान किया गया था और उसने उसे मूल रूप से निष्पादित किया है।

2. एक पक्षकार के रूप में अंतरक और दूसरे पक्षकार के रूप में अंतरिती के बीच एतद् द्वारा यह और करार दिया जाता है और उनके द्वारा घोषणा की जाती है कि -

(एक) अंतरक और अंतरिती यह घोषणा करते हैं कि उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया है कि जिस क्षेत्र के लिए उत्खनन पट्टा अंतरित किया जा रहा है उस पर खनिज संबंधी अधिकार राज्य सरकार में निहित हैं।

(दो) अंतरक एतद् द्वारा यह घोषणा करता है कि उसने उत्खनन पट्टे का, जो अब अंतरित किया जा रहा है, उसने समनुदेशन नहीं किया है, उप पट्टे पर नहीं दिया है, बंधक नहीं किया है या किसी अन्य रीति में अंतरित नहीं किया है और कि अंतरित किये जा रहे वर्तमान उत्खनन पट्टे में किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई अधिकार, हक या हित नहीं है।

(तीन) अंतरक यह भी घोषणा करता है कि उसने ऐसा कोई करार, संविदा या समझौता नहीं किया है जिसके द्वारा उसका पर्याप्त वित्त पोषण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सारवान सीमा तक किया गया था या किया जा रहा है और या जिसके द्वारा या जिसके अधीन अंतरक की संक्रिया या समझौते का सारभूत रूप में नियंत्रण, अंतरक से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा किया जा रहा था या किया जा रहा है।

(चार) अंतरिती, एतद् द्वारा यह घोषणा करता है कि उसने वे सभी शर्तें और दायित्व स्वीकार कर लिये हैं जो ऐसे उत्खनन पट्टे के संबंध में अंतरक के पास थे।


(पांच) अंतरिती, एतद् द्वारा यह भी घोषणा करता है कि वह खनन संक्रिया के लिए वित्तीय रूप से सक्षम है और उसे स्वयं करेगा।

(छह) अंतरक ने अंतरिती को क्षेत्र में के और उसके चारों ओर 65 मीटर के दायरे में के सभी परित्यक्त कार्यों के सभी मानचित्रों की मूल या अधिप्रमाणित प्रतियां दे दी है।

(सात) अंतरिती, एतद् द्वारा यह घोषणा करता है कि इस अंतरण के परिणाम स्वरूप, उसके द्वारा उत्खनन पट्टे के अधीन धारित कुल क्षेत्र, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के उल्लंघन में नहीं है।

(आठ) अंतरक ने, इस पट्टे के संबंध में, आज दिनांक तक सरकार को शोध्य सभी भाटक, स्वामित्व (रायल्टी) और अन्य शोध्यों का भुगतान कर दिया है।

प्रमाणित प्रति
लॉक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)





38
Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

इसके साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकारों ने इसमें सर्वप्रथम लिखे दिनांक को इस पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

अनुसूची


पट्टे की अवस्थिति और उसका क्षेत्र सर्वे क्रमांक 65 (क्षेत्र या क्षेत्रों का विवरण) ग्राम बिबडोद तहसील रतलाम जिला रतलाम में स्थित शासकीय भूमि के वे सभी भूखंड जिनका खसरा नं. 65 है और जिनका क्षेत्रफल 2.000 हे0 या उसके लगभग है और जिसे इससे संलग्न नक्षे में लाल रंग में दर्शाया गया है और जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार है -

उत्तर में सर्वे क्रं. 65 की शेष भूमि द्वारा
दक्षिण में सर्वे क्रं. 65 की शेष भूमि द्वारा
पूर्व में सर्वे क्रं. 65 की शेष भूमि द्वारा
पश्चिम में सर्वे क्रं. 65 की शेष भूमि द्वारा


लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)

प्रमाणित प्रति

नोट हाजीर





Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Ujjain
17 - Bharatpuri, Ujjain
UJJAIN
UJJAIN
Tele : 0734- 2510984

RED-SMALL

CCA-Renewal

CONSENT NO: ***

PCB ID: 96910

Outward No: 19466/27/01/2023
NO: /MPPCB/UJJ

Consent No:AW-109338

To,

The Occupier,

M/s. Dinesh Porwal (Mine & Crushing Unit),

S.No. 65, Village-Bibrod Tehsil & Distt. Ratlam,

Dist : Ratlam, Tal : Ratlam Nagar, SIDC : Not In SIDC, Latitude : 23.3376 Longitude : 74.9560

Subject: Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref: Your Consent to Operate Application Receipt No. 1258975 Dt. 08/01/2023 and last communication received on Dt.05/01/2023

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to 28/12/2027, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

- Location: S.No. 65, Village-Bibrod Tehsil & Distt. Ratlam,
- The capital investment in lakhs: Rs. 45
- Product & Production Capacity:


Product	Qty./year
Mining of stone	16975.000 MT3
stone Crushing	16975.000 MT3

Note:- For any change in above industry shall obtain fresh consent from the board.

The Validity of the consent is up to 28/12/2027 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

- * Conditions under Water Act
- * Conditions under Air Act
- * General conditions


लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिल्हा संकलनालय (क.प्र.)


प्रमाणित प्रति

Signature Not Verified

Digitally Signed by :

H.K.TIWARI,E.E.

Date: 27/01/2023 02:46:29 PM


Digitally Signed with Aadhaar

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # 9QBTEVH11H


HEMANT KUAMR TIWARI
Regional Officer

Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Ujjain
17 - Bharatpuri, Ujjain
UJJAIN
UJJAIN
Tele : 0734- 2510984

CONDITIONS PERTAINING TO WATER [PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION] ACT 1974 :-

1. The daily quantity of trade effluent at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day, and the daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.300 KL/day

2. Trade Effluent Treatment:-

The applicant shall provide comprehensive effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0	TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.	Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.
BOD ₅ Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.			
COD	Not exceed	250 mg/l.			
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.			

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall provide comprehensive sewage treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD ₅ Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 2.500	WWG : 0.300	Water Source	Remark
1	Domestic Purpose	0.500	0.300	Borewell	
2	Spray in Mines	2.000	0.000	Borewell	

4. The effluent shall be treated up to prescribed Standards and reuse in the process, for cooling and for green belt devolvement/gardening within premises. Hence zero discharge condition shall be practiced. In no case treated effluent shall be discharged outside of industry/unit premises.

5. Any change in production capacity, process, raw material used etc. and for any enhancement of the above prior permission of the Board shall be obtained. All authorized discharges shall be consistent with terms and conditions of this consent. Facility expansions, production increases or process modifications which result new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a fresh consent application for prior permission of the Board

6. All treatment/control facilities/systems installed or used by the applicant shall be regularly maintained in good working order and operate effectively/efficiently to achieve compliance of the terms and conditions of this consent

7. The specific effluent limitations and pollution control systems applicable to the discharge permitted herein are set forth as above conditions.

8. Compilation of Monitoring data-

- Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
- Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.
- The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

9. Recording of Monitoring Activities & Results-

- The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
- The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

Consent No:AW-109338


लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)

प्रमाणित प्रति



Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Ujjain
17 - Bharatpuri, Ujjain
UJJAIN
UJJAIN
Tele : 0734- 2510984

- (i) The date, exact place and time of sampling
- (ii) The dates on which analysis were performed
- (iii) Who performed the analysis?
- (iv) The analytical techniques or methods used and
- (v) The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.

iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

10. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

11. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

12. Limitation of visible floating solids and foam:

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

13. Disposal of Collected Solid waste/sludge-

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

14. Provision for Electric Power Failure-

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

15. Prohibition of By pass system of treatment facilities-

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent is prohibited except :

- i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or
- ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.


16. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water condition:-

(1) The mine management shall make arrangement for full utilization of treated effluent inside the premises for plantation purposes and shall not discharge any effluent outside of the mine premises. Hence Zero discharge condition shall maintained

(2) The mine management shall construct garland

drains/trenches at foot of waste dump to arrest silt, sedimentation pits shall be constructed at the corner of the garland drain and de-silted at regular intervals


प्रमाणित प्रति
 लोक सूचना अधिकारी
 खनिज शाखा
 जिला रतलाम (म.प्र.)

Consent No:AW-109338



Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Ujjain
17 - Bharatpuri, Ujjain
UJJAIN
UJJAIN
Tele : 0734- 2510984

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipments as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-
2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:
 - a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
 - b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
 - c. Sulphur Dioxide [SO₂] (24 hrs. Basis) - 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
 - d. Nitrogen Oxides [NO_x] (24 hrs. Basis) - 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
 - e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.
4. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.
5. All other fugitive emission sources such as leakages, seepages, spillages etc shall be ensured to be plugged or sealed or made airtight to avoid the public nuisance.
6. The industry/ unit shall ensure all necessary arrangements for control of odour nuisance from the industrial activities or process within premises
7. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.
8. Industry shall take effective steps for extensive tree plantation preferably in 03 rows of the local tree species with minimum spacing of 2X2 meters within or around the industry/unit premises for general improvement of environmental conditions and as stated in below..

(Minimum number of plants to be planted by the unit:-250)

Additional Air condition:-

- (1) The Mine shall take proper action to control the noise pollution. The ambient noise level shall not exceed the limit 75dB [A] during the day time and 70dB [A] during the night time within the premises.
 - (2) Vehicular emission should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicle used for transporting the minerals should with covered with tarpaulins And optimally loaded.
 - (3) The suspended particulate matter measured between 3 metres to 10 meters from crushing & screening equipments shall not exceed 600 micro grammas per cubic meter.
 - 4) Water sprinkle shall be provided for control of fugitive emission.
 - 5) Transportation shall be done through covered vehicle.
 - 6) Transportation should not be done through forest area.
 - 7) The vehicle used for the transportation of minerals / material shall be PU certified and shall be properly maintained to reduce the noise
- (4) The industry shall adopt following Air Pollution Control measures as per M.P. Pollution Control Board guide line dated: 19-02-2004 :
- (i) The screen should be enclosed with M.S. Sheets and a fan connected with motor to extract the dust generated during screening operation should be installed. Dust should be vented into a chamber wherein water sprinklers shall be provided for dust suppression.
 - (ii) A telescopic chute should be provided at the end of dropping zero gitti and dust/fines. Suitable water sprinkling system shall be provided to reduce the dust emission.
 - (iii) (a) Temporary water sprinklers shall be provided at the time of unloading from the truck/tripper.
 - (b) The unit should provide water sprinklers on the conveyor carrying raw material from bunker/bin to the crusher. The water should be sprayed in the form of mist with the help of a motor.

प्रमाणित प्रति

जिला सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)

Consent No:AW-109338



Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Ujjain
17 - Bharatpuri, Ujjain
UJJAIN
UJJAIN
Tele : 0734- 2510984

- (iv) Stone crusher should develop green belt of 5 mtrs. width all around the premises of environment in general.
(v) Periodical cleaning of the water spray nozzles should be carried out to avoid chocking.
(vi) Fine dust accumulated in the crushing areas should be periodically cleaned and the dumps should be covered with tarpaulin to arrest erosion by wind.
(vii) The approach road should be properly developed and should be sprayed with water similarly the approach roads to individual crushers should be made in good conditions and watered.
(viii) The drop height of the processed material should be kept at a minimum during loading and unloading.
(ix) Conveyer chutes should be provided at the discharge points.
(x) As an occupational safety all the workers should be provided with nose masks.

GENERAL CONDITIONS:


1. The non hazardous solid waste arresting in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

Non Hazardous Solid wastes:-

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny begs etc		Sale to authorized party/As Per CPCB. MoEF Guide lines / Others.

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:

- a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.


लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)

3. This consent / authorisation is transferable in nature, in case of any change in ownership / management, the new owner / partner / directors / proprietor shall immediately apply for the consent with new requisite information.

प्रमाणित प्रति

4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation

8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :

- (a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
(b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
(c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

10. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Consent No:AW-109338



Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Ujjain
17 - Bharatpuri, Ujjain
UJJAIN
UJJAIN
Tele : 0734- 2510984

Additional condition:-


- (1) This consent may not be taken as a measure of proof that mine has not violated pollution control law at any period of time in the past.
- (2) Mine Management shall comply with all the relevant Acts/Rules, directions, guidelines issued by MoEF/CPCB/MPPCB from time to time as required and (if applicable).
3. Mine Management shall comply with the direction of Hon'ble Supreme Court, National Green Tribunal & Hon'ble High Court issued in the relevant writ petitions.
- (4) Mine shall have to close down the mining activities in case there is any public complaint regarding health & environmental degradation and Board find the facts correct and direct the mine to do so at any time.
- (5) The mine management shall take preventive measures to control fugitive dust emission from all the sources should be controlled effectively and duly monitored. Water spraying arrangement on haul roads, dump trucks (loading & unloading) point should be provided and properly maintained.

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorisation. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board


लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)

प्रमाणित प्रति


Digitally Sign with Aadhaar

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # 9QBTEVH11H


HEMANT KUAMR TIWARI
Regional Officer

Consent No:AW-109338

प्रति,

दिनांक 1/5/2023

श्रीमान् खनि. अधिकारी
खनिज शाखा
जिला-रतलाम

विषय - जल संसाधन विभाग द्वारा ग्राम पंचायत पलसोडी में नवनिर्मित डेम के पास ही खदान संचालक द्वारा ब्लास्टिंग की जा रही है उस खदान को तत्काल बंद करवाने बाबत ।
संदर्भ - आपका पत्र क्रमांक/743/खनिज/2022-23 रतलाम दिनांक 31/03/2023

महोदय,

उपरोक्त विषय अन्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में सानुरोध निवेदन है कि प्रार्थी को ग्राम बिबड़ौद तहसील व जिला रतलाम की शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 65 रकबा 2.000 हैक्टर क्षेत्र अवधि दिनांक 11/04/2018 से 10/04/2028 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु क्रेशर आधारित पत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत है ।

यह कि ग्राम पंचायत पलसोडी में नवनिर्मित डेम के समीप ब्लास्टिंग करने की शिकायत जन सुनवाई के माध्यम से कि गई है वह असत्य होकर निराधार है मेरे द्वारा नियमानुसार खनिज नियम म.प्र. गौण खनि. नियम 1996 में प्रावधानों के तहत खदान में ब्लास्टिंग की जा रही है ।

मेरे द्वारा ग्राम पलसोडी में नवनिर्मित डेम के समीप कोई ब्लास्टिंग नहीं की गई है और न ही डेम की किसी प्रकार की कोई क्षति पहुँचाई गई है ।

अतः मेरे विरुद्ध जारी सूचना पत्र निरस्त करने का कष्ट करें।

यही विनय है ।

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)

प्रार्थी
गोपाल चौधरी
रतलाम

1/5/23



कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-रतलाम (म0प्र0)

क्रमांक / 950 / खनिज / 2023-24

रतलाम, दिनांक 16 / 05 / 2023

:: आदेश ::

प्रति,

पट्टाधारी श्री गोपाल चौधरी पिता श्री गोविन्द चौधरी
निवासी ग्राम अरनोद जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान)
हा0मु0 अलकापुरी रतलाम जिला रतलाम (म0प्र0)

विषय :- जल संसाधन विभाग द्वारा ग्राम पंचायत पलसोड़ी में नवनिर्मित डेम के पास ही खदान संचालक द्वारा ब्लास्टिंग की जा रही है। जिस खदान को तत्काल बंद करवाने बाबत।

- संदर्भ :-
1. ग्रामवासी ग्राम पलसोड़ी द्वारा जनसुनवाई में दिये गये आवेदन पत्र दिनांक 28/03/2023 एवं (समयसीमा क्र0 245 दिनांक 28.03.2023)
 2. खनि निरीक्षक, जिला रतलाम द्वारा संयुक्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 01/05/2023
 3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम का पत्र क्रमांक 1137 दिनांक 04/05/2023

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के माध्यम से लेख है कि आपको ग्राम बिबडौद तह0 रतलाम शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 65 रकबा 2.000हे0 अवधि 11/04/2018 से 10/04/2028 तक (10 वर्ष) हेतु क्रेसर आधारित पत्थर उत्खनिप्रद्व स्वीकृत है। जिसके परिपेक्ष्य में आपको स्वीकृत खदान के पास ही जल संसाधन विभाग द्वारा ग्राम पलसोड़ी में नवनिर्मित डेम है। डेम के पास ब्लास्टिंग करने की शिकायत प्राप्त हुई है।

तत्संबंध में खनि निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा पट्टेदार की उपस्थिति में संयुक्त जांच कर जल संसाधन विभाग से स्पष्ट अभिमत लिये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया। तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम का पत्र क्र0 1137 दिनांक 04/05/2023 से ग्राम पलसोड़ी में नवनिर्मित डेम हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संयुक्त जांच प्रतिवेदन एवं जल संसाधन विभाग के स्पष्ट अभिमत के आधार पर पट्टाधारी को ग्राम बिबडौद तह0 रतलाम शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 65 रकबा 2.000हे0 अवधि 11/04/2018 से 10/04/2028 तक स्वीकृत क्रेसर आधारित पत्थर उत्खनिप्रद्व क्षेत्र में पलसोड़ी नवनिर्मित डेम से 200 मीटर की दूरी छोड़कर कंट्रोल एवं छोटी ब्लास्टिंग किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही ब्लास्टिंग करने के पूर्व संबंधितों को अवगत कराया जावें। यदि आपके द्वारा निर्धारित दूरी छोड़कर ब्लास्टिंग नहीं की जाती है और यदि भविष्य में डेम को कोई क्षति पहुँचती है या जनहानि होती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व पट्टाधारी स्वयं का होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

81000
1386
29-5-2023

कलेक्टोरेट, रतलाम
शाखा..... खनिज
23 MAY 2023
अधीक्षक कलेक्टर

लोक सूचना अधिकारी प्रमाणित प्रति
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)
कलेक्टर
जिला रतलाम (म.प्र.)

02 पर.....

ENVIRONMENTAL
CLEARANCE

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment
Authority(SEIAA), MADHYA PRADESH)

To,

The -1
GOPAL CHOUDHARY
R/o- Village- Amod, District- Pratapgarh, (Rajasthan) -312615

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity
under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC)
in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number
SIA/MP/MIN/440798/2023 dated 31-Oct-2023. The particulars of the environmental
clearance granted to the project are as below.

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. EC Identification No. | EC24B001MP196626 |
| 2. File No. | 10728/2023 |
| 3. Project Type | New |
| 4. Category | B |
| 5. Project/Activity including
Schedule No. | 1(a) Mining of minerals |
| 6. Name of Project | BIBDOD STONE QUARRY |
| 7. Name of Company/Organization | GOPAL CHOUDHARY |
| 8. Location of Project | MADHYA PRADESH |
| 9. TOR Date | N/A |

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page
no 2 onwards.

Date: 29/01/2024

(e-signed)
Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
SEIAA - (MADHYA PRADESH)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification
number & E-Sign generated from PARIVESH. Please quote identification
number in all future correspondence.

This is a computer-generated cover page.

लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)

प्रमाणित प्रति



संदर्भ: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/440798/2023- प्रकरण क्र. 10728/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री गोपाल चौधरी आत्मज श्री गोविन्द चौधरी, निवासी- अरनोद, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 16975 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 65, ग्राम बिबडौद, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय-समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. SIA/MP/MIN/440798/2023 एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 31.10.2023) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेजों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला रतलाम के एकल प्रमाण पत्र क्र. 1694 दिनांक 02.08.2023 के अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता क्षेत्र/ईको सेंसेटिव जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि के बाहर स्थित है। आपके द्वारा प्राप्त अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 23°20'16.139" से 23°20'20.017" और देशांतर 74°57'18.122" से 74°57'24.568" भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 825वीं बैठक दिनांक 12.01.2024 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 702वीं बैठक दिनांक 16.12.2023 में प्रकरण पर की गई अनुशंसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्तें अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक श्री गोपाल चौधरी आत्मज श्री गोविन्द चौधरी, निवासी- अरनोद, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 16975 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 65, ग्राम बिबडौद, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.)। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों और तदुपरांत मानक शर्तों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अ) विशिष्ट शर्तें:

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), रतलाम द्वारा लीज हस्तांतरण पत्र क्र. 1987 दिनांक 28.11.2022 अनुसार उक्त लीज दिनांक 11.04.2018 से 10.04.2028 तक स्वीकृति की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.04.2028 तक वैध मान्य रहेगी।।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नदी से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों

लोक सूचना अधिकारी

खनिज शाखा

जिला रतलाम (म.प्र.)

प्रमाणित प्रति

से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लारिस्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लारिस्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्य हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
8. संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।
9. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारों ओर की जाये।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षामार्ग की व्यवस्था की जायेगी।
15. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
16. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में षोधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
18. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
22. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
23. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
24. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माइनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
26. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण

प्रमाणित प्रति

श्री. सुचना अधिकारी
खनिज शाखा

(एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

29. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
30. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा।
32. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।
34. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
35. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिये कैपिटल राशि रु. 07.39 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रु. लाख प्रतिवर्ष प्रस्तावित है।
37. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.75 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य प्रथम तीन माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
रोगी कल्याण समिति में ग्राम बिबड़ौद हेतु उल्लेखित राशि तीन महीने में जमा करवाई जावेगी	75,000/-

38. निम्नानुसार-वृक्षारोपण-कार्यक्रम-अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)	प्रमाणित प्रति
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, कालासिरिस, सिस्सू, करंज, चिरोल, सफेदसिरिस, पीपलआदि एवं अन्य स्थानीय	590 पौधे	लोक सूचना अधिकारी खनिज शाखा जिला रतलाम (म.प्र.)

		प्रजातियाँ।	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपलआदि। एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री-गार्ड के साथ	240 पौधे
3	ग्रामबिबड़ौद के ग्रामपंचायतमें वृक्षारोपण	पुत्रंजीवामोलश्रीसिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	50 पौधे
4	ग्रामबिबड़ौद के मंदिरमें वृक्षारोपण	बरगद, आंवलापुत्रंजीवा, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	50 पौधे
5	ग्रामीणोंमें पौधोका वितरण	सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदि। एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1470 पौधे

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

39. खनन कार्य स्वीकृत खान योजना एवं प्रस्तावित भू उपयोग के अनुसार किया जाये। खनन सुरक्षा हेतु महानिदेशालय द्वारा निर्धारित डेज़र जोन (500मी.) के विनियमों का भी अनिवार्य रूप से पालन किया जाये एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये आवश्यक उपाय किये जायें।
40. स्वीकृत खनन क्षेत्र का सीमांकन अक्षांश एवं देशांतर दर्शाते हुये बाउन्ड्री पिलर पर सीमा चिन्ह द्वारा किया जाये एवं खनन क्षेत्र के चारों ओर फन्सिंग करवाई जाये। खनन क्षेत्र में सूचना पटल पर खदान की जानकारी एवं सुरक्षा उपायों का दर्शाया जाये।
41. धूल के दमन के हेतु पट्टा क्षेत्र से बाहर निकलने वाले वाहनों पर पानी छिड़काव हेतु सोलर पंप/पानी के टैंकों के साथ आवेरहेड स्पिंकलर और निकासी सड़क पर निश्चित प्रकार के स्पिंकलर की व्यवस्था की जानी चाहिये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक लॉग बुक रखी जाये जिसमे पानी के छिड़काव और वाहन की आवाजाही का दैनिक विवरण दर्ज किया जाये।
42. खनिज का परिवहन केवल आवश्यक नमी वाले ढके हुये पी.यू.सी प्रमाणित वाहनों में किया जाये, जिससे निर्धारित निर्गम स्थलों पर होने वाले फुगिटिव (Fugitative) उत्सर्जन को रोका जासके।
43. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का (WBM/Black top) बनाया जाये।
44. खनन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाये एवं MPPCB के निर्देश के अनुसार वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को स्थापित करें।
45. इनबिल्ट एपी.सी.डी और वाटर स्पिंकलिंग सिस्टम के साथ क्रेशर सड़क से न्यूनतम 100मी. दूर और बसाहट से 500 मीटर की दूरी, पर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बाद ही फुगिटिव उत्सर्जन से बचने के उपयुक्त सामग्री की कम से कम 04 मी. ऊंची विंड ब्रेकिंग वॉल के साथ स्थापित किया जाये।

लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा

प्रमाणित प्रति

जिला रतलाम (म.प्र.)

46. टोस कारतूस की जगह घोल मिश्रित विस्फोटक (SME) का उपयोग किया जाये।
47. लोडिंग मशीनों की कार्य ऊंचाई बैंच कॉन्फिगरेशन के अनुसार युक्तिसंगत हो।
48. ओवर बर्डन का पुनः उपयोग सड़क के रखरखाव के लिये किया जाये, परियोजना प्रस्तावक आई.बी.एम द्वारा अनुमोदित अंतिम क्लोजर प्लान का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा।
49. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिये समुचित कार्य किये जाये एवं इसके लिये आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत/सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से किया जाये।
50. श्रमिकों का छह मासिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये एवं श्रमिकों को आवश्यक पी.पी.ई किट प्रदान किया जाये। तथा श्रमिकों/कर्मचारियों के लिये विश्राम आश्रय, प्राथमिक चिकित्सा, उचित अग्निशमन उपकरण और शौचालय (पुरुष और महिला के लिये अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान की जाये। खदान के कार्यालय/विश्राम गृह इत्यादि को सोलर लाईट द्वारा रोशन और हवादार किया जाये।
51. वित्तीय जवाबदेही के लिये परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी और सीईआर गतिविधियों में किये गये सभी व्यय के लिये एक अलग बैंक खाता रखा जाना जाये एवं इसका विवरण वार्षिक पर्यावरण विवरण में दिया जाये। यदि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये नेगेटिव उपायों के लिये आवंटित ई.एम.पी बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका विवरण वार्षिक प्रतिवेदन में किया जाये।
52. कंपनी से बचने के लिये ब्लास्टिंग के दौरान कोई ओवरचार्जिंग नहीं की जाये केवल मफल ब्लास्टिंग को ही अपनाया जाये। ब्लास्टिंग केवल प्रमाणित ब्लास्टर के माध्यम से की जाये और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना खदान स्थल पर विस्फोटक भंडारण न किया जाये।
53. खदान के पानी को खनन क्षेत्र से बाहर न छोड़ा जाये अपितु उसका उपयोग छिड़काव एवं वृक्षारोपण के लिये किया जाये। अपवाह और वर्षा जल के लिये उपयुक्त आकार के गारलैण्ड ड्रेन और सेटलिंग टैंक (SS Pattern) की व्यवस्था की जाये।
54. सभी गारलैण्ड ड्रेन को सेटलिंग पिट्स के माध्यम से सेटलिंग टैंक से जोड़ा जाये एवं बचे हुये पानी का उपयोग धूल दमन, हरित पट्टी विकास और लाभकारी संयंत्र (Beneficiation Plant) के लिये किया जाये। नालों और गड्ढों की गाद निकालने का कार्य नियमित रूप से किया जाये।
55. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEIAA/SEAC में जमा किये गये दस्तावेजों में विसंगति के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।
56. खनन पट्टा क्षेत्र में गड्ढे एवं भूमि के पुनरुद्धार की राशि का उपयोग खनन विभाग के माध्यम से किया जाये। खनन कार्य समाप्ति के उपरांत खदान के पुनरुद्धार के लिये खनन विभाग द्वारा अनुमानित उचित राशि को कलेक्टर के शासकीय कोष में जमा कराया जाये।
57. पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ को काटने/उखाड़ने से पहले वन विभाग एवं पानी की आवश्यकता/उपयोग हेतु ग्राम पंचायत की अनापत्ति (एन.ओ.सी.) प्राप्त की जाये।
58. ऐसे पट्टे जो वन क्षेत्र के 250मी. की परिधि के अंदर आ रहे हैं एवं परियोजना प्रस्तावक ने संभाग स्तरीय आयुक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तो समिति द्वारा निर्धारित सभी शर्तों पालन सुनिश्चित किया जाये।
59. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और प्रस्तावित खनन ईकाई में उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
60. अस्थायी अनुज्ञा (TP) के प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता केवल टीपी की वैधता तक रहेगी एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान समापन योजना का पालन सुनिश्चित करना होगा।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)

61. सभी खदाने जहां उत्पादन > 50000 घन मीटर/वर्ष है, उनमें परियोजना प्रस्तावक बजट आंवटन के साथ पर्यावरण प्रबंधन परियोजना (ई.एम.पी) और कार्पोरेट इन्चायमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CER) में प्रस्तावित विभिन्न खनन संबंधी गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिये अपनी वेबसाइट विकसित करे एवं विभिन्न गतिविधियां जैसे गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक, वृक्षारोपण, पानी के छिड़काव की व्यवस्था, परिवहन एवं सड़क को ठीक करना आदि का छमाही प्रगति प्रतिवेदन इस वेबसाइट एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अपलोड करे एवं वेबसाइट के नियमित रख-रखाव एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक या खनन प्रबंधक की होगी।
62. सभी प्रकार के मृदा खनन, की अधिकतम गहराई सामान्य जमीनी स्तर से 02 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य प्रावधान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ओ.एम नंबर एल-11011/47/2011-आईए-II (एम) दिनांक 24/06/2013 के अनुसार मान्य होगा।
63. खनन पट्टाधारक खनन कार्य को बंद करने के बाद खनन क्षेत्र और किसी भी अन्य क्षेत्र जो उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित हो सकते हैं, उनमें फिर से पुनः इस ऐसी स्थिति में बहाल करेगा जो कि घास, वनस्पतियों इत्यादि के विकास के लिए उपयुक्त हो। इसके लिये, एम.ओ.ई.एफ. एंड.सी.सी के पत्र एफ. सं. 22-34/2018-आई.ए. III दिनांक 16/01/2020 अनुसार ई.एम.पी और सी. ई.आर अंतर्गत एक अलग बजट सुरक्षित करें।
64. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या Z&11013/57/2014-IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक "आवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे, जिसमें बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्रों का हिस्सा हैं या बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए हैं" में दिए गए मिटिगेटिव उपायों का पालन करेगा।
65. पत्राचार के पते में कोई भी परिवर्तन के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राधिकरण को सूचित करेगा।
66. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आवाजाही) नियम, 2016 के तहत यदि आवश्यक हो तो ऑथराइजेशन प्राप्त करेगा।
67. खदान में प्रवेश के समय परियोजना के संबंध में एक डिस्प्ले बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा :
- खदान के मालिक का नाम-संपर्क विवरण आदि।
 - परियोजना का खनन पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में) मय अक्षांश देशांश।
 - खदान की लम्बाई, चौड़ाई एवं स्वीकृत गहराई।
 - पर्यावरण स्वीकृति एवं एमपीपीसीबी की कन्सेन्ट अनुसार परियोजना की स्वीकृत उत्पादन क्षमता।
 - खनन विधि (मैनुअल/सेमी मैकेनाइज्ड) एवं ब्लारिस्टिंग अथवा नॉन ब्लारिस्टिंग।
 - वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. गतिविधियां।
68. ई.एम.पी के अंतर्गत प्रावधानित बजट अनुसार खदान के 7.5 मीटर बैरियर जोन में सघन वृक्षारोपण संबंधित सी.सी.एफ (सामाजिक वानिकी) के मार्गदर्शन अनुसार एवं डी.एफ.ओ/ग्राम पंचायत/कृषि विभाग या पर्याप्त विशेषज्ञता रखने वाली किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से कार्य की अनुमति तथा वन विकास निगम/वन समिति जैसे वन रेंज अधिकारी की निगरानी में किया जायें।
69. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जमा की गई वृक्षारोपण योजना अनुसार खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में प्रस्तावित पूर्ण वृक्षारोपण किया जाये एवं फेन्सिंग के किनारों पर स्थानीय प्रजाति जैसे नीम, अरुंधी बबूल, चिरूल आदि के बीज बोये जायें एवं वृक्षों की सुरक्षा एवं संरक्षण भी किया जाये।

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला स्तलाम (म.प्र.)

70. पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ओ. बी. डंप (Over burden) न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्यों के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हताहत/मृत पौधों के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जायें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण और करणीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेतु एक लॉग बुक रखी जाये एवं खनन कार्य के दौरान किसी भी वनस्पतियों, जीवों इत्यादि को कोई हानि न हो, इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पी.पी. द्वारा वन भूमि में संभावित अतिरिक्त वृक्षारोपण वनमंडलाधिकारी के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट भी वनमंडलाधिकारी को हस्तांतरित किया जाये।
71. संबन्धित ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बंजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रित प्रजातियाँ जैसे वार्षिक, बारहमासी घास/चारा, वृक्ष की प्रजातियाँ रोपित की जाये जिससे चरागाह विकसित हो सके एवं खनन कार्य के उपरांत इस विकसित चरागाह को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाए।
72. पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले कम से कम 100 पौधे और अधिकतम वृक्षारोपण योजना अनुसार आस-पास के ग्रामीणों को चारा/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक-वानिकी नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर वितरित किए जाए। यह गतिविधि म.प्र. सरकार की "अंकुर योजना" के अंतर्गत "वायुदूत ऐप" पर व्यक्तिगत ग्रामीणों को पंजीकृत कर की जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिन स्थानों पर औषधि वाटिका (Meditional Garden) प्रस्तावित है, उन स्थानों (स्कूल/आंगनवाड़ी प्रांगण) पर न्यूनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं इस प्रकार विकसित किये जाये कि उनका सरवाइवल 80 प्रतिशत तक हो।
73. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपित पेड़-पौधों की सिंचाई हेतु पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।
74. बी-1 श्रेणी की परियोजनाओं में प्रस्तावित सी.ई.आर. गतिविधियाँ जन सुनवाई के निष्कर्ष पर आधारित होने चाहिए एवं बी-2 श्रेणी की परियोजनाओं में स्थानीय आवश्यकता मूल्यांकन और ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सी.ई.आर. गतिविधि प्रस्तावित किया जाए।
75. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, कचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा के पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :- परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है। इसी प्रकार स्कूल/ आंगनवाड़ी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये।
- नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माइनिंग क्षेत्र	02.5 - 03.0 फीट	03-05 से. मी.
2.	रोड साइड/स्कूल/ आंगनवाड़ी	03.5 - 06.5 फीट	05-10 से. मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी. गोलाई में) तीन वर्षों तक।	लोक सूचना अधिकारी खनिज शाखा जिला स्तलाम (म.प्र.)	
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -


- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।

- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

(ब) मानक शर्तें

1. परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल विवरण के साथ वैध डाक का पता।
2. निगरानी में आसानी के लिए उत्खनन पट्टा क्षेत्र का जी.पी.एस समन्वय ई.सी में परिलक्षित होगा।
3. नियंत्रित ब्लास्टिंग तकनीक यदि आवश्यक हो केवल दिन के समय में ही की जाएगी।
4. उत्खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। खनन योजना के किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में एसईआईएए द्वारा दी गई पर्यावरण मंजूरी रद्द हो जाएगी।
5. वायु प्रदूषण से ग्रस्त महत्वपूर्ण-क्षेत्रों (उच्च स्तर के कण पदार्थ जैसे लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट और सभी ट्रांसफर पॉइंट) में प्रभावी सुरक्षा उपाय, जैसे कि नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए।
6. जहां खदान पहाड़ी इलाके में हैं और जहां पहाड़ी का कुछ हिस्सा पहले से ही उत्खनन के लिए काटा गया है, वहां आगे पहाड़ी की कटाई नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में, मौजूदा परिचालन क्षेत्र को गहरा करना अधिमानतः किया जा सकता है।
7. सभी विचाराधीन प्रस्तावों के लिए खनन कार्य से पूर्व खनन/राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर सटीक खनन क्षेत्र का संयुक्त रूप से सीमांकन किया जायेगा।
8. लीजधारक को परियोजना के लिए आवश्यक मात्रा में पानी (सतही जल और भूजल) की निकासी के लिए सक्षम अधिकारियों की आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
9. सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
10. आसपास की बस्तियों को खनन गतिविधियों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये एवं जिन सड़कों माध्यम से गौण खनिजों का परिवहन किया जाये उनका नियमित रूप से रख रखाव/अनुरक्षण किया जाये।
11. मृदा अपरदन की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किए जायेंगे।
12. गाद को जलाशयों में ले जाने से रोकने के लिए डंप के तल पर खाई/नालियाँ का निर्माण किया जाये।
13. परियोजना प्रस्तावक खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर और गारलैंड ड्रेन के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेगा।
14. ऊपरी मिट्टी/टोस कचरे को उचित ढलान और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ ठीक से ढेर किया जाये और खनन क्षेत्र के पुनर्वास और पुनर्वास के लिए बैकफिलिंग (जहां लागू हो) के लिए उपयोग किया जाए।
15. वृक्षारोपण कार्यक्रम ई.एम.पी के अनुसार किया जाये। वनस्पतियों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जाए एवं सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना पट्टे क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई नहीं की जाये।
16. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त बाड़ों से ढका जाये ताकि परिवहन के दौरान कोई धूल कण/बारीक पदार्थ बाहर न निकल सकें।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।


18. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण उपलब्ध कराए जाए एवं उन्हें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारियाँ भी प्रदान की जाये।
19. स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए औषधालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर निकायों के प्रमुखों, जैसा लागू हो को भी प्रदान की जाये।
21. मंत्रालय या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।
22. तथ्यात्मक डेटा को छुपाना या झूठे/गढ़े हुए डेटा प्रस्तुत करना और ऊपर उल्लेखित किसी भी शर्त का पालन न करने पर इस मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
23. पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ कोई भी अपील यदि आवश्यक हो, तो माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत, निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की जा सकती है।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला रतलाम (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला रतलाम (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केंद्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला रतलाम (म.प्र.)।
10. संबंधित फाईल।

प्रमाणित प्रति


लोक सूचना अधिकारी
खनिज शाखा
जिला रतलाम (म.प्र.)



(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

Validity unknown

Digitally signed by: Sanjiv Mujeeb
Rehman Khan
Designation: Member Secretary
Date and Time: 17/01/2024 4:51:49 PM



Distance: 46.53 m



Google



Annexure - A/8







Tagofy - Geotag Map Camera



Ratlam, Madhya Pradesh, India

Ratlam Nagar, Ratlam, 457001, Madhya Pradesh, India

Lat: 23.337293, Long: 74.953575

27/10/24 08:51 AM UTC+05:30





Annexure - A/11





Tagofy - Geotag Map Camera

Ratlam, Madhya Pradesh, India

Ratlam Nagar, Ratlam, 457001, Madhya Pradesh, India

Lat: 23.338930, Long: 74.954612

27/10/24 08:44 AM UTC+05:30



Maps





Tagofy - Geotag Map Camera



Ratlam, Madhya Pradesh, India

Ratlam Nagar, Ratlam, 457001, Madhya Pradesh, India

Lat: 23.337181, Long: 74.953856

27/10/24 08:51 AM UTC+05:30



Tagofy - Geotag Map Camera

Ratlam, Madhya Pradesh, India

Ratlam Nagar, Ratlam, 457001, Madhya Pradesh, India

Lat: 23.338930, Long: 74.954612

27/10/24 08:44 AM UTC+05:30





Tagofy - Geotag Map Camera



Ratlam, Madhya Pradesh, India

Ratlam Nagar, Ratlam, 457001, Madhya Pradesh, India

Lat: 23.338897, Long: 74.954629

27/10/24 08:44 AM UTC+05:30



Tagofy - Geotag Map Camera



Ratlam, Madhya Pradesh, India

Ratlam Nagar, Ratlam, 457001, Madhya Pradesh, India

Lat: 23.338505, Long: 74.953583

27/10/24 08:44 AM UTC+05:30



Tagofy - Geotag Map Camera

Ratlam, Madhya Pradesh, India

Ratlam Nagar, Ratlam, 457001, Madhya Pradesh, India

Lat: 23.338457, Long: 74.953643

27/10/24 08:44 AM UTC+05:30



Tagofy - Geotag Map Camera



Ratlam, Madhya Pradesh, India
Ratlam Nagar, Ratlam, 457001, Madhya Pradesh, India
Lat: 23.338895, Long: 74.954629
27/10/24 08:44 AM UTC+05:30

VAKALATNAMA**BEFORE THE HONBLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONAL, BENCH AT BHOPAL****ORIGINAL APPLICATION NO 244/2024****APPELLANT:** Vijay Shankar Pandey
//VERSUS//**RESPONDENT:** Suman Kalal & Ors.

I/we the named below do hereby appoint, engage and authorize advocate named below to appear, act and plead in aforesaid case/proceedings, which shall include applications for restoration, setting aside of ex-parte orders, corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this Court or in any other Court in which the same may be tried/heard/proceeded with and also in the National Green Tribunal in respect of proceedings arising from this case/proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him/ them to sign and file pleadings, cross objections, petitions, applications, affidavits, or other document as may be deemed necessary or proper for the prosecution/ defence of the said case in all its stages and also agree to ratify and confirm acts done by him/ them as if done by me/us : In witness whereof I/We do hereunto set my/ our hand to these presents, the contents of which have been duly understood by me/ us, this 03 day of Nov..... 2024 at Bhopal.

Particulars (in block letters) of each Party Executing Vakalatnama

Name & Father/s/ Husband/s name	Registered/Official Address	E-mail Address (if any)	Telephone Number (if any)	Status in the case	Full Signature/ **Thumb Impression
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Vijay Shankar Pandey S/o Om Prakash Pandey					<i>Vijay</i>

Accepted:

Particulars (in Block Letters) of each advocate accepting Vakalatnama

Full name & Enrolment No. in State Bar Council	Address for Service	E-Mail Address (if any)	Telephone Number (if any)	Full Signature
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ritu Pathak MP/221/2015 Kanishk Devesh Sharma MP/314/2020 Robin Singh Bisht MP/4066/2022 Ankita Parmar MP/4755/2023 Ayush Dev Baispai MP/1990/2012	C 304, Block - B, Mahadev Parisar Apartments, Shivaji Nagar, Bhopal, M.P. 462016	<i>kanishk.devesh@gmail.com</i>	9425079025 8989003434	<i>Ritu Pathak</i> <i>Kanishk Devesh</i> <i>Robin Singh</i> <i>Ankita Parmar</i> <i>Ayush Dev Baispai</i>